तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1979

(भारत के राजपत्र, दिनांकित : 1.3.1979 में प्रकाशनार्थ)

सा0का0नि0 102 (असा0) – महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 126 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 लघु शीर्ष एवं आरंभ

(1) ये विनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1979 कहे जाएं।

(2) ये 1 अप्रैल 1979 से लागू होगें।

2 प्रयोजन

ये विनियम, इन विनियमों की शुरूआत के बाद या बोर्ड के सर्विस में नियोजित सभी व्यक्तियों को लागू होगा।

3 **परिभाषा :** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :

(ए) ''परिणत छुट्टी'' का तात्पर्य, विनियम 23 के तहत का है ;

(बी) ''सक्षम अधिकारी'' का तात्पर्य है, प्राधिकारी जिसे इस संबंध में, बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ दी गई हैं ।

(सी) ''कम्पलीटेड इयर्स ऑफ सर्विस'' और ''एक वर्ष की सर्विस'' का तात्पर्य,केन्द्र सरकार या भूतपूर्व तूत्तुक्कुडि लघु पत्तन न्यास या बोर्ड के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि केलिए लगातार और असाधारण छुट्टी को शामिल करते हुए छुट्टी पर एवं ड्यूटी पर बिताई गई अवधि शामिल है।

(डी) ''अर्जित छुट्टी'' का तात्पर्य है ड्यूटी पर बिताई गई अवधियों के मामले में अर्जित छुट्टी ;

(ई) ''देय अर्जित छुट्टी'' का तात्पर्य है इस तारीख से पूर्व लागू नियमों के तहत इन विनियमों के शुरूआत की तारीख पर कर्मचारी के नामे की अर्जित छुट्टी की मात्रा प्लस इन विनियमों के शुरूआत की तारीख के बाद या ली गई अर्जित छुट्टी की मात्रा को कम करते हुए, विनियम 21 के तहत गणित अर्जित छुट्टी की मात्रा ;

(एफ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य है, बोर्ड का कर्मचारी ;

(जी) ''स्थायी सर्विस में कर्मचारी'' का तात्पर्य है, कर्मचारी, जो वास्तविक तौर पर स्थायी पद का संभालता है या जो स्थायी पद को धारणाधिकार के तौर पर संभालता है या जो स्थायी पद को धारणाधिकार तौर पर संभाल सकता था, कि अगर यह धारणाधिकार को निलंबन नहीं किया होता ;

(एच) ''स्थायीवत् सर्विस में कर्मचारी'' का तात्पर्य है, कर्मचारी जिसे संबंधित नियमों के तहत स्थायीवत् के रूप में घोषित किया गया है ;

(आई) ''अर्ध वेतन छुट्टी'' का तात्पर्य है पूरे किए गए सर्विस के मामले में अर्जित छुट्टी ;

(जे) ''देय अर्ध वेतन छुट्टी'' का तात्पर्य है इस तारीख से पूर्व लागू नियमों के तहत इन विनियमों के शुरूआत की तारीख एवं उसक तारीख के बाद या ली गई अर्ध वेतन छुट्टी , निजी कार्यों तथा चिकित्सा प्रमाण पर ली गई अर्ध वेतन छुट्टी की मात्रा को कम करते हुए, पूरे सर्विस केलिए नियम 22 के तहत गणित अर्ध वेतन छुट्टी की मात्रा ;

(के) ''छुट्टी'' में अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, परिणत छुट्टी, देय छुट्टी नहीं एवं असाधारण छुट्टी शामिल है,;

(एल) इसमे प्रयोग शब्द एवं अभिव्यक्ति लेकिन परिभाषित नहीं है और महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में परिभाषित है, तो उस अधिनियम में उनको संदर्भितानुसार ही क्रमशः अर्थ होगा ।

स्पष्टीकारण : कर्मचारी के निलंबन की अवधि, जिसे डॉयस नॉन के रूप में माना जाता है, को इन विनियमों के उद्देश्य केलिए सर्विस के रूप मान्यता दी जानी चाहिए।

4 स्थानांतरण या फॉरण सर्विस पर कर्मचारी :

(1) कर्मचारी, जिसके लिए ये नियम लागू होते हैं, वे राज्य या केन्द्र सरकाय या भारत के अंदर के फॉरण सर्विस में अस्थायी स्थानांतरण के दौरान भी इन विनियमों द्वारा शासित होने के रूप में कायम होगा ।

(2) भारत के बाहर फॉरण सर्विस (संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों के अंदर, भारत के अंदर या बाहर की सर्विस शामिल है) या संघ के सशक्त दलों को अस्थायी स्थानांतरण पर के कर्मचारियों के मामले में, ये विनियम, फॉरण सर्विस या अस्थायी स्थानांतरण की शर्तों एवं उपबंधों में प्रबंध किए गए अनुसार तक ही सिर्फ लागू होगें, जैसी स्थिति हो ।

5 छुट्टी का अधिकार

छुट्टी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी के पास इच्छा से, बोर्ड की सेवाओं की आकस्मिकताओं के अनुसार, किसी भी समय पर छुट्टी प्रदान करने या मना करने या छुट्टी रद्द करने हेतु अधिकार है, लेकिन प्राधिकारी के पास, कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए अनुरोध के सिवाय, देय छुट्टी या ली गई छुट्टी को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

6 छुट्टी के दावा का नियमन

कर्मचारी द्वारा छुट्टी की मांग को, छुट्टी केलिए आवेदन करते समय और प्रदान करने के समय पर, लागू विनियमों द्वारा नियमित किया जाता है।

7 छुट्टी पर बर्खास्तगी या निष्कासन या इस्तीफा के प्रभाव से नामे की छुट्टी

(1) नामे होने पर, छुट्टी के दौरान बर्खास्तगी, या निष्कासन या इस्तीफा की तारीख से, बोर्ड की सर्विस खत्म होने से कर्मचारी, जिसे बर्खास्त या निष्कासित या जो इस्तीफा दे देता है, के नामे की छुट्टी के किसी भी दावे को उप विनियम (2) में प्रबंध किए गए अनुसार होगा ;

(2) कर्मचारी, जिसे सर्विस से बर्खास्त या निष्कासित किया गया है और अपील या संशोधन द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया है, को बर्खास्तगी, या निष्कासन, जैसा मामला हो, से पूर्व उसकी सर्विस की छुट्टी को गणन किए जाने का हकदार होगा ।

8 एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार में परिवर्तन करना :

(1) कर्मचारी द्वारा एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तन करने हेतु के आवेदन को तभी विचार किया जा सकता है जब उसे छुट्टी मंजूरी करने वाले प्राधिकारी या इस ओर से पदनामित कोई और अन्य प्राधिकारी द्वारा, उसके द्वारा उपलब्ध छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर, संबंधित कर्मचारी द्वारा पदभार संभालने के तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर, प्राप्त किया जाता है।

(2) एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार में परिवर्तन करना इस शर्त पर होगी कि कर्मचारी को प्रदान की गई अंतिम छुट्टी के आधार पर, छुट्टी वेतन का समायोजन किया जाएगा, अर्थात् तात्पर्य है कि उसको अदा की गई कोई भी अधिक रकम को उससे प्रतिलभ्य किया जाएगा या उसको देय कोई भी बकाया को उसे अदा किया जाएगा।

टिप्पणी : चिकित्सा प्रमाण पर प्रदान किया गया असाधारण छुट्टी या अन्यथा को अर्जन–शोध छुट्टी में पूर्वव्यापी परिवर्तन किया जाए, बशर्ते कि विनियम 24 के प्रावधान के तहत है।

(3) एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन करने केलिए सेवा के दौरान रहते अगर कर्मचारी को पहले से ही प्रदान किय गया हो तो, सेवानिवृत्ति के उपरान्त सर्विस को छोडने के बाद कर्मचारी केलिए विचार नहीं किया जा सकता, चूंकि विनियम 7(1) एवं 29 (1) (ए) के तहत के प्रावधान के अनुसार, उसके नामे की सारी छुट्टी, उसके सर्विस में खत्म होने के रूप में माना जाना है।

9 विभिन्न प्रकार की छुट्टी का संयुक्तिकरण :

इन विनियमों में अन्यथा प्रबंध किए गए के सिवाय, इन विनियमों के तहत किसी भी प्रकार की छुट्टी को, अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी की संयुक्ति में या के साथ चालू होने के रूप में प्रदान किया जाए।

स्पष्टीकरण : (1) आकस्मिक छुट्टी, जिसे इन विनियमों के तहत छुट्टी के रूप में मान्यता नहीं दी गई, को इन विनियमों के तहत स्वीकार्य किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : (2) आकस्मिक छुट्टी को विशेष आकस्मिक छुट्टी के साथ, संयुक्त किया जा सकता है लेकिन किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं।

10 लगातार छुट्टी की अधिकतम सीमा :

जब तक कि बोर्ड, मामले कि असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, अन्यथा निर्णय लेती है, किसी भी कर्मचारी को पाँच वर्षों से ज्यादा की लगातार अवधि या किसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान नहीं की जा सकती।

11 छुट्टी केलिए आवेदन :

छुट्टी केलिए या छुट्टी को बढाने केलिए कोई भी आवेदन, छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी को फॉर्म–। में दिया जाना है।

12 छुट्टी का लेखा–जोखा :

बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा, हरेक कर्मचारी केलिए फॉर्म नं0 2 में छुट्टी का लेखा–जोखा रखरखाव किया जाना है।

13 छुट्टी के शीर्ष का सत्यापन :

(1) कर्मचारी को कोई भी छुट्टी प्रदान नहीं होगी, जब तक कि छुट्टी लेखा–जोखा रखने वाले प्राधिकारी से उसकी स्वीकार्यता के संबंध में, रिपोर्ट नहीं प्राप्त की जाती।

टिप्पणी : छुट्टी मंजूरी देने वाले आदेश में, कर्मचारी के नामे की अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी के शेष अंकित हुआ होना चाहिए।

(2) (ए) जहाँ यह कारण है विश्वास करने केलिए कि स्वीकार्यता रिपोर्ट को प्राप्त करने में अविधिवत् विलंब किया जाएगा, तो छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी, उपलब्ध सूचना के आधार पर, कर्मचारी को स्वीकार्य छुट्टी के लेखे की गणना करते हुए 60 दिन से ज्यादा के लिए नहीं की अवधि केलिए छुट्टी की अनंतिम मंजूरी जारी कर सकते हैं।

(बी) इस उप विनियम के तहत छुट्टी प्रदान करना, छुट्टी लेखा रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के शर्तों पर होगा और जहाँ आवश्यक हो, छुट्टी की अवधि केलिए संशोधित मंजूरी जारी किया जाए।

टिप्पणी : सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी की तैयारी के मामले में या जहाँ नामे की छुट्टी के बदले नकद का भुगतीकरण प्रदान किया जाता है, तो कर्मचारी से, अत्यधिक भुगतान होने पर, अगर कोई है, केलिए छुट्टी वेतन से प्रतिलभ्य करने हेतु एक वचनबद्धता प्राप्त किया जाना है।

(3) (ए) कुछ एक परिस्थितियों में छुट्टी न प्रदान किया जाना :

(बी) ''कर्मचारी को छुट्टी नहीं प्रदान की जाएगी, जिसे सक्षम दाणिक प्राधिकारी ने बोर्ड की सेवाओं से बर्खास्त, हटाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का निर्णय लिया है । ''

(सी) ''निलंबनाधीन के कर्मचारी को छुट्टी प्रदान नहीं किया जाएगा।''

14 चिकित्सा प्रमाण पर छुट्टी का प्रदान करना :

(1) एक कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पर छुट्टी केलिए दिए गए आवेदन के साथ, बीमारी की प्रकृति एवं संभाव्य अवधि को स्पष्टतः परिभाषित करते हुए पत्तन के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फॉर्म नं0 3 में चिकित्सा प्रमाण होना चाहिए ;

बशर्ते कि अगर कर्मचारी उस जगह पर बीमार पड जाता है, जहाँ पत्तन के चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो किसी भी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी से चिकित्सा प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं और जहाँ कोई

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा प्रमाण प्राप्त किया जाना है।

(2) चिकित्सा अधिकारी छुट्टी प्रदान करने की सिफारिश नहीं करेगें अगर किसी मामले में जहाँ यह प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मचारी कभी भी अपने कार्यभार को संभालने के योग्य होगा और ऐसे मामलों में यह राय है कि चिकित्सा प्रमाण में यह दर्ज किया जाए कि बोर्ड की सर्विस केलिए कर्मचारी स्थायी तौर पर अयोग्य है।

(3) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी, अपने इच्छा से शीघ्रातिशीघ्र की तारीख में, आवेदक को चिकित्सा जांच किए जाने हेतु पत्तन चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करते हुए, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी द्वारा जारी प्रमाण के मामले में दूसरी चिकित्सा राय प्राप्त कर सकते हैं।

(4) उप विनियम (3) में संदर्भित चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि बीमारी के तथ्यों के संबंध में और सिफारिश की जा रही छुट्टी की अवधि की आवश्यकता के संबंध में दोनो राय व्यक्त करें और उस उद्देश्य हेतु वे आवेदक को अपने समक्षया उनके द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड सकता है।

(5) इस विनियम के तहत प्रदान की गई चिकित्सा प्रमाण अपने आप में संबंधित कर्मचारी को कोई अधिकारी नहीं देता ; चिकित्सा प्रमाण को छुट्टी प्रदान करने हेतु समक्ष प्राधिकारी को अग्रप्रेषण करना होगा और उस प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी।

(6) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी अपने इच्छा से, किसी भी एक समय पर, तीन दिन से ज्यादा के लिए नहीं की अवधि केलिए छुट्टी केलिए आवेदन के मामले में चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करने को माफ कर सकते हैं। ऐसी छुट्टी फिरभी, चिकित्सा प्रमाण पर लिए जाने के रूप में माना जाएगा और चिकित्सा कारणवश की छुट्टी के अलावा की छुट्टी से काटा जाना है।

15 कर्मचारी को छुट्टी जो कार्यभार ग्रहण करने हेतु वापस आने केलिए असंभव प्रतीत होता है :

(1) (ए) जब चिकित्सा प्राधिकारी ने रिपार्ट किया है कि इस बात की कोई उचित संभावना नहीं है कि कर्मचारी कभी भी कार्यभार ग्रहण करने हेतु लौटने के लायक होगा, तो ऐसे कर्मचारी को छुट्टी देने से इंकार नहीं किया जाएगा।

(बी) छुट्टी प्रदान किया जा सकता है, अगर कोई देय है, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर छुट्टी प्रदान कर सकते हैं :

(i) अगर चिकित्सा प्राधिकारी निश्चित तौर पर यह कहने में असमर्थ होते हैं कि कर्मचारी सर्विस के लिए फिर कभी भी फिट नहीं हो सकते हैं, तो बारह महीने से ज्यादा नहीं तक ही सभी प्रकार की छुट्टी प्रदान किया जा सकता है और ऐसी छुट्टी को चिकित्सा प्राधिकारी के आगे के संदर्भ के बगैर बढाया नहीं जा सकता है।

(ii) अगर कर्मचारी को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, आगे की सर्विस हेतु पूर्णतया और स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है तो छुट्टी या उनको छुट्टी बढाने की अनुमति चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रदान की जाए बशर्ते कि चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से पर ड्यूटी की किसी भी अवधि सहित छुट्टी लेखों से काटी जाने वाली छुट्टी की अवधि छह महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

2 कर्मचारी, जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सर्विस केलिए पूर्णतया और स्थायी रूप से अयोग्य घोषित गया है, को :

(ए) अगर वे ड्यूटी पर हैं, उनकी ड्यूटी से मुक्त किए गए तारीख से सर्विस के लिए अशक्त माना जाए, जो कि चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर बिना विलंब व्यवस्था की जानी चाहिए और अगर फिरभी, उन्हें उप विनियम (1) के तहत छुट्टी प्रदान की जाती है तो ऐसे छुट्टी की समाप्ति पर, उसे सर्विस से अशक्त माना जाएगा ;

(बी) अगर वे पहले से ही छुट्टी पर हैं, तो वह छुट्टी या बढाई गई छुट्टी, जिसे उप विनियम (1) के तहत छुट्टी प्रदान की गई थी, की समाप्ति पर उसे सर्विस से अशक्त माना जाएगा।

16 छुट्टी की शुरूआत एवं समापन :

विनियम 17 में प्रबंध किए गए को छोडकर, सामान्तः छुट्टी की शुरूआत उस दिन से प्रभावी होती है, जिस दिन प्रभार अंतरण किया गया और छुट्टी का समापन उस दिन होता है जो प्रभार संभालने की तारीख से पूर्व का दिन है।

17 छुट्टी के साथ अवकाशों का संयुक्ताकरण :

(1) जब दिन, कर्मचारी की छुट्टी आरंभ होने की तारीख से पूर्व का दिन या उसकी छुट्टी समाप्त होनी की तारीख का अगला दिन होता है, जो की अवकाश या अवकाशों का एक कतार होता है तो उसे ऐसे अवकाश या अवकाशों की कतारो से पूर्व का दिन समाप्त होने से पूर्व स्टेश को छोडने या छुट्टी समाप्त होने के बाद अगले दिन वापस आने की अनुमति प्रदान की जाए।

बशर्ते कि :

(ए) उनका स्थानांतरण या प्रभार संभालने में, स्थायी अग्रिम तौर पर को छोडकर, सेक्यूरिटीस या पैसों की अदला बदली होना शामिल नहीं है ।

(बी) उसका पहले प्रस्थान होना यह नहीं होना है कि उसकी ड्यूटी के निष्पादन केलिए कर्मचारी को दूसरे स्टेशन से जल्दी स्थानांतरण किया गया है ; और

(सी) ड्यूटी के विलंब से आना यह नहीं होना है कि दूसरे स्टेशन के कर्मचारी , जो उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनका कार्यभार निष्पादन कर रहे थे, के स्थानांतरण मेंया बोर्ड की सर्विस में अस्थायी तौर पर नियुक्त व्यक्ति से निकासी होने में, हुआ विलंब है।

(2) शर्त पर की, प्रस्थान करने वाले कर्मचारी , उसके प्रभार में के पैसों के लिए जिम्मेवार होगें, विभागाध्यक्ष चाहे तो किसी विशेष मामले में, उप विनियम (1) के प्रावधान के खंड (ए) के प्रयोजन को अधित्याग कर सकते हैं।

(3) जबतक कि सक्षम प्राधिकारी किसी अन्य मामलें में छुट्टी प्रदान करते हैं या अन्यथा निदेश देते हैं :

(ए) अगर छुट्टियाँ, छुट्टी से उपसर्ग होती हैं तो छुट्टी और छुट्टी के बाद के दिन से प्रभावी वेतन एवं भत्ताओं को किसी प्रकार का परिणामस्वरूप पूनर्व्यस्था ; और

(बी) अगर छुट्टियाँ, छुट्टी से प्रत्यय होती हैं तो छुट्टी को उसके समापन की तारीख पर खत्म हुए होने के रूप में माना जाए और अगर छुट्टी को प्रत्यय नहीं किया गया हो एवं छुट्टी समाप्त हो जाना की तारीख से वेतन तथा भत्ताओं की किसी भी परिणामी पुनर्व्यवस्था प्रभावी होगी।

टिप्पणी 1 : कर्मचारी द्वारा रविवार या अवकाश के पूरे दिन में ड्यूटी का निष्पादन किए जाने के बदले प्रदान की गई प्रतिपूरक छुट्टी को ऊपर के उद्देश्य केलिए अवकाश के रूप में माना जाए।

टिप्पणी 2 : अवकाश के साथ छुट्टी का उपसर्ग या प्रत्यय होना, सिवाय चिकित्सा प्रमाण पर की छुट्टी के, को अपने आप अनुमति प्रदान किया जाए, सिवाय ऐसे मामलों में जहाँ प्रशासनिक कारणों से छुट्टी का उपसर्ग या प्रत्यय लगाने केलिए विशेष रूप से रोके रखा गया है। चिकित्सा प्रमाण पर की छुट्टी के मामले में, अगर जिस दिन, कर्मचारी को वापस ड्यूटी पर आने केलिए मेडिकली फिट प्रमाणित किये जाने वाला दिन अगर छुट्टी होता है तो उसे, अपने चिकित्सा छुट्टी के साथ ऐसी छुट्टी को प्रत्यय लगाने हेतु अनुमति अपनेआप है।

18 छुट्टी की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर वापस बुलाया जाना :

(1) अगर कर्मचारी को उसकी छुट्टी की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी केलिए पुनःबुलाया जाता है तो ऐसे बुलावे की ड्यूटी को सभी मामलों में और कर्मचारी के हक के तौर पर अनिवार्य होने के रूप में माना जाए।

(ए) अगर छुट्टी जिससे उसे ड्यूटी केलिए बलाया गया है, भारत में है तो तारीख जिसे दिन उसे स्टेशन पर रिपोर्ट करने केलिए ओदश किया गया है केलिए की यात्रा पर की तारीख से उसे ड्यूटी पर होने के रूप में माना जाए और निम्न की निकासी करना है :–

(i) यात्रा हेतु इस ओर से बनाए गए नियमों के तहत यात्रा भत्ता ; और

(ii) जब तक वे ड्यूटी पर भार नहीं संभालते तब तक का छुट्टी वेतन, उसी दर पर जिसे उसने निकासी किया गया होता कि अगर ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाता ;

(बी) अगर छुट्टी जिससे उसे वापस बुला लिया गया है, भारत के बाहर है, तो छुट्टी के गणन के उद्देश्य हेतु भारत की यात्रा के समय को ड्यूटी के रूप में माना जाए और निम्न प्राप्त करें :–

(i) भारत तक केलिए यात्रा के दौरान, छुट्टी वेतन और भारत में उतरने की तारीख के उपरान्त और पदभार ग्रहण करने की तारीख तक की अवधि केलिए उसे दर पर जिसे उसने निकासी किया गया होता कि अगर ड्यूटी केलिए नहीं बुलाया जाता :–

(ii) भारत में मुफ्त मार्ग ;

(iii) भारत से उनके पारित होने का प्रतिलभ्य कि अगर उसने बुलाए जाने पर भारत को छोडने की तारीख से छुट्टी की आधि अवधि भी पूरी न की हो या तीन महीने, जो भी लघु काल हो ;

(iv) यात्रा भत्ता, जो समय समय पर नियमों के तहत लागू हो रहा है, भारत में उतरने की स्थान से ड्यूटी के स्थान तक जाने की यात्रा ।

19 छुट्टी से वापसी :

(1) कर्मचारी जो छुट्टी पर है, वह उसके प्रदान की गई छुट्टी की अवधि समाप्त होने से पूर्व ड्यूटी पर नहीं आएगा, जब तक उसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने उसे छुट्टी प्रदान की है, ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(2) उप विनियम (1) में निहित कुछ के बावजूद, कर्मचारी जो सेवानिवृत्त की तैयारी छुट्टी पर है को, सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी पर जाने से पूर्व उसके द्वारा संभाले गए पद में नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी की सहमति से ड्यूटी पर आने को नहीं कहा जाता।

(3) कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पर छुट्टी ली है, वह तब तक ड्यूटी पर वापस नहीं आ सकता, जब तक कि उसने पत्तन के चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से फॉर्म नं0 4 में फिटनस केलिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(4) (ए) छुट्टी से वापस आने वाला कर्मचारी, उसके प्रभावी केलिए निर्दिष्ट ओदशों की अनुपस्थिति में हकदार नहीं होगा कि उस पद के रूप में फिर से शुरू करने केलिए जिसे उन्होंने छुट्टी पर जाने से पहले करते थे।

(बी) ऐसे कर्मचारी, प्राधिकारी जिसने उसे छुट्टी प्रदान की को या प्राधिकारी को, छुट्टी से वापस आने के बाद ड्यूटी केलिए रिपोर्ट करेंगे, अगर कोई आदेश विशिष्ट रूप से उसे छुट्टी प्रदान करती है और आदेश की प्रतीक्षा है।

टिप्पणी : कर्मचारी, जो ट्यूबरक्लोसिस से बीमार है को फिट्नस प्रमाण पत्र के आधार पर जिसमें उसे हल्के कार्य के लिए सिफारिश किया गया है, के आधार पर ड्यूटी वापस आने की अनुमति प्रदान की जाए सकती है।

स्पष्टीकरण :

(i) इस विनियम के उद्देश्य केलिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी में पंजीकृत एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपेथिक व्यवसायी, अर्थात् पंजीकृत डॉक्टरों, वैध, हकीम एवं होमियोपैथ।

(ii) छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी, पूर्व उप–अनुच्छेद में निहित कुछ भी नहीं के बावजूद, अपने विवेक से, या तो मेडिकल प्रमाण के अनिवार्यताओं को पूर्णतया छूट दे सकते हैं या एक समय पर, 3 दिन से ज्यादा नहीं की अवधि के लिए बीमारी को रखकर छुट्टी केलिए आवेदन के मामले में वैध, हकीम या होम्योपेथ से प्रमाण स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी छुट्टी फिरभी, चिकित्सा प्रमाण पर छुट्टी के रूप में माना जाए या चिकित्सा आधार पर छुट्टी के अलावा की छुट्टी के मुकाबले छुट्टी की कटौती कर सकते हैं।

20 छुट्टी समाप्त होने के उपरान्त अनुपस्थिति :

(1) जब तक कि छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी नहीं बढाई जाती, तब तक कर्मचारी जो छुट्टी समाप्त हाने के बाद भी अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि केलिए छुट्टी वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और ऐसे अवधि को उसकी छुट्टी लेखों से कटौती की जाएगी जैसे कि मानो ऐसी देय छुट्टी के हद तक वे अर्ध वेतन छुट्टी पर रहे हैं और ऐसी छुट्टी देय से ज्यादा की अवधि को असाधारण छुट्टी के रूप में माना जा रहा है।

(2) छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्यूटी से जानबूझकर की अनुपस्थिति पर, कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही लेने की संभावना होगी।

21 अर्जित छुट्टी एवं अर्जित छुट्टी का गणन :

(1) (ए) (i) कर्मचारी, हरेक केलण्डर वर्ष केलिए 30 दिन क दर पर अर्जित छुट्टी लेने का हकदार होगा।

(ii) हरेक कर्मचारी के छुट्टी लेखे में अग्रिम तौर पर ही, हरेक वर्ष केलिए 15 दिन की अर्जित छुट्टी को, दो किश्तों में अर्थात् वर्ष के 1 जनवारी और जुलाई को नामे किया जाएगा।

(iii) केलण्डर वर्ष के कोर्स के दौरान जब कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो सर्विस के दौरान हरेक पूर्ण किए गए केलण्डर महीने केलिए, जो कि उसकी नियुक्ति में आधे केलण्डर वर्ष में किया गया मानते हुए, अर्जित छुट्टी को, ढ़ाई दिनों के दर पर उसकी छुट्टी लेखों के नामे किया जाएगा।

टिप्पणी : अगर कर्मचारी को 13 मार्च को नियुक्ति की जाती है, तो उस आधे वर्ष में उसकी सर्विस केलिए पूरा किया गया महीनों की संख्या 3 होगी और नामें में 3 X 2 ½ = 7 ½ होगा जो कि राउडेड करते हुए 8 दिन होगा। अगर उसकी नियुक्ति 20 अप्रैल को होती है तो उस आधे वर्ष में उसकी सर्विस केलिए पूरा किया गया महीनों की संख्या 2 होगी और नामें में 2 X 2 ½ = 5 होगा ।

(iv) आधे वर्ष केलिए नामे, जिस दौरान कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा या सर्विस से इस्तीफा दे दिया है, को उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफा की तारीख तक, 2 ½ दिन प्रति पूर्ण केलण्डर महीना के दर पर ही दिया जाएगा।

(v) जब कर्मचारी को सेवा के दौरान ही, सर्विस से निकाल दिया या सेवा को खारिज़ कर दिया जाता है तो अर्जित छुट्‌टी के नामे को, पूर्व केलण्डर महीने तक, जिसमें एसे सर्विस से निकाला या खारिज़ किया गया है या सेवाकाल में मृत्यु हो गई है, 2 ½ दिन प्रति पूर्ण केलण्डर महीना के दर पर ही दिया जाएगा।

(बी) पिछले आधे वर्ष के अंत पर कर्मचारी के नामे की छुट्‌टी को अगले आधे वर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि आगे लेकर जाई गई छुट्‌टी प्लस आधे वर्ष केलिए नामे, 300 दिन से अधिकतम सीमित से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(सी) (i) जहाँ कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी नहीं है और स्थायी पद पर लगातार बिना रूकावट के सर्विस पर है, उसकी छुट्‌टी लेखे को अर्जित छुट्‌टी के साथ नामें किया जाएगा, जो कि स्वीकार्य हुआ होगा कि अगर उसकी पिछुली ड्‌यूटी को कर्मचारी द्वारा, पहले से ली गई अर्जित छुट्‌टी को काटते हुए स्थायी नियोजन में कर्मचारी के रूप में किया गया हो।

(डी) फॉरन सर्विस में बिताई गई अवधि को इस नियम के उद्‌देश्य केलिए ड्‌यूटी के रूप में गणन किया जाएगा, अगर छुट्‌टी वेतन की ओर का अंशदान, ऐसी अवधि के लिए अदा किया गया है।

(vi) जहाँ कर्मचारी जो निम्न कारणों से पूरा जॉइनिंग समय को लिए गए बगैर नए पद में जॉइन करता है :

(ए) उसको, उसके लिए योग्य पूरे जॉइनिंग समय को लिए बगैर तैनाती के नए स्थान पर नए पद पर जॉइन करने का आदेश दिया जाता है, या

(बी) वह तैनाती के नए स्थान पर जॉइन करने हेतु अकेले निकलता है और पूरे जॉइनिंग समय को लिए बगैर ही पद पर जॉइन करता है और बाद में परिवार केलिए यात्रा भत्ता का दावा करने हेतु अनुज्ञ कालावधि के अंदर बाद में परिवार को लेकर जाता है,

(सी) नियम 5 के ऐसे नियम (4) के तहत अनुज्ञानुसार के जॉइनिंग समय के दिनों की संख्या, अगर केन्द्रीय सिविल सर्विस (जॉइनिंग टाइम) नियम, 1979 , बशर्ते कि उसके छुट्‌टी खाता में अर्जित छुट्‌टी के रूप में, 15 दिन के अधिकतम समय में से उसके द्वारा उपलब्ध वास्तविक दिनों की संख्या की कटौती करते हुए, जमा किया जाएगा,

(डी) बशर्ते कि उसके नामे की अर्जित छुट्टी के साथ नामे किए जाने वाले अउपलब्ध जॉइनिंग समय, 300 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

(2) बशर्ते कि विनियम 5 एवं 29 के प्रावधानों के, एक समय पर प्रदान की जाने वाली अधिकतम अर्जित छुट्टी की संख्या 180 दिन तक की होगी ।

(3) अगर कर्मचारी ने असाधारण छुट्टी उपलब्ध की है और /या कुछ समय की अनुपस्थिति को आधे वर्ष में डाईस नॉन के रूप में माना जाना चाहिए, अगले आधे वर्ष की शुरूआत पर ही उसके छुट्टी खाते में नामे किए जाने वाले को, ऐसी छुट्टी की 1/10 तक की अवधि/या अधिकतम 15 दिन के डाईस नॉन से कटौती की जानी है।

(4) अर्जित छुट्टी के नामे करते समय, दिन के फ्राक्शनों को पास के दिन से राउण्ड ऑफ किया जाना है।

टिप्पणी 1 : कर्मचारियों के मामलों में योग्यता, जो विशिष्ट अर्ध वर्ष के अंतिम दिन पर छुट्टी पर हैं : ''अगर कोई कर्मचारी, केलण्डर वर्ष के किसी विशिष्ट अर्ध के अंतिम दिन पर छुट्टी पर हैं तो वे आगामी अर्ध वर्ष के पहले दिन पर नामे किए जाने वाली अर्जित छुट्टी के हकदार होगें, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी छुट्टी प्रदान करने केलिए यह विश्वास रखते हैं कि उसकी समाप्ति पर कर्मचारी ड्यूटी पर वापस आएगा '' ।

टिप्पणी 2 : अगर कर्मचारी अर्ध वर्ष के अंत में छुट्टी लेते हैं और ऐसी छुट्टी अर्ध के अंत के बाद भी अगले अर्ध वर्ष के लिए बढ़ती हैं जो छुट्टी का वह हिस्सा जो अर्ध वर्ष के अंत में खत्म होता है को कर्मचारी के छुट्टी खाते से कटौती की जाएगी और शेष छुट्टी को अगले अर्ध वर्ष केलिए अग्रेषित किया जाएगा। 15 दिनों का अग्रिम नामे जो कि अगले अर्ध वर्ष की शुरूआत में देय है, को निम्नलिखित रूप में अनुमति दी जाएगी :—

(5) कर्मचारी के मामले में, जिसके पास अर्जित छुट्टी के नामे में 285 दिनया वर्ष के 1 जनवरी/1 जुलाई में 15 दिन का अर्जित छुट्टी है या सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के मामले में आनुपातिक रूप में कम है या जो अगले अर्ध वर्ष के दौरान सर्विस छोडने वाला है, तो अद्यतन में अग्रिम तौर पर उनके छुट्टी लेखा में जमा किया जाना कायम रहेगा।

(6) मामलो में जहाँ 1 जनवरी/1 जुलाई के अनुसार अर्जित छुट्टी के नामे 300 दिन है या कम है लेकिन 285 दिन से ज्यादा है, तो अग्रिम तौर पर 15 दिन को छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा और परिणामस्वरूप के कुल को 300 + 300 दिन की सीमा के ज्यादा के दिनों की संख्या के रूप में दिखाया जाए। 300 दिनों की सीमा से ज्यादा के दिनों की संख्या को ब्रेकट में दिखाया जाएगा। चालू अर्ध वषै के दौरान ली गई छुट्टी को पहले ब्रेकट में दिखाए गए आंकडो के मुकाबले समायोजन किया जाना है और शेष अगर कोई है को अर्ध वर्ष के अंत में अर्जित छुट्टी खाते के नामे किया जाए, बशर्ते कि 300 दिन की सीमा रहती है। अगर अर्ध वर्ष के दौरान ली गई अर्जित छुट्टी की संख्या 15 दिनों से ज्यादा है तो 15 दिन से ज्यादा के दिनों को फिरभी छुट्टी खाते से काटा जाएगा।

22 अर्ध वेतन छुट्टी :

(1) हरेक कर्मचारी के अर्ध वेतन छुट्टी खाते में अग्रिम रूप में, हरेक केलंडर वर्ष के 1 जनवरी एवं जुलाई को हरेक दस दिनों के दो किश्तों को जमा किया जाएगा।

(2) ए) छुट्टी को सर्विस के हरेक केलंडर महीने केलिए 5/3 दिनों के दर पर, उक्त छुट्टी खाते में जमा किया जाना है, जिसे उसे उसकी नियुक्ति के केलंडर वर्ष के अर्ध वर्ष में प्रस्तुत करने की संभावना है।

बी) अर्ध वर्ष केलिए, जिसमें, कर्मचारी सर्विस से सेवानिवृत्त होगा या इस्तीफा देता है, को सेवानिवृत्त या इस्तीफा की तारीख तक 5/3 दिन प्रति पूर्ण केलंडर महीने के दर पर अनुमति दी जाएगी।

सी) जब भी कर्मचारी को सर्विस से हटाया या निकाल दिया जाता है या सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सर्विस से हटाये या निकाले या सेवा में मृत्यु हो जाने के पहले केलंडर महीने से पूर्व केलंडर महीने के अंत तक 5/3 दिन प्रति पूर्ण केलंडर महीने के दर पर अर्ध वेतन छुट्टी को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

डी) जहाँ कर्मचारी की अनुपस्थिति की अवधि या निलंबन को आधे वर्ष में ''डायस नॉन'' के रूप में माना गया है, तो अगले अर्ध वर्ष की शुरूआत में उसके अर्ध वेतन छुट्टी खाते को जमा किए जाने वाले को ''डायस नॉन'' की अवधि के एक अठारहवें से कम हो जाएगा, बशर्ते कि अधिकतम दस दिन होता है।

(3) इस विनियम के तहत छुट्टी को, चिकित्सा प्रमाण या निजी कार्यों पर प्रदान किया जाए।

(4) अर्ध वेतन छुट्टी के खाते को स्वीकृति देते समय, दिन के अंश को पास के दिन तक राउण्ड ऑफ किया जाएगा। बशर्ते कि कर्मचारी के मामले में, जो स्थायी रूप में नियोजित नहीं है या अर्ध स्थायी नियोजित नहीं है, अर्ध वेतन छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि प्राधिकृत प्राधिकारी छुट्टी प्रदान करने केलिए कारणों पर विश्वास करते हैं कि कर्मचारी छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी ड्यूटी पर वापस आ जाएगा सिवाय उन मामलों में कि कर्मचारी जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सर्विस केलिए पूर्णतया या स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

(5) 31.12.1985 तक अपूर्ण अंश केलिए जमा :

कर्मचारी को 31 दिसंबर 1985 तक 1985 की सर्विस की अपूर्ण अवधि केलिए, 1 जनवरी 1986 को 5/3 दिन प्रति माह के दर पर उनके अर्ध वेतन छुट्टी खाते में अर्ध वेतन छुट्टी के अग्रिम खाते के साथ जमा करते हुए अर्ध वेतन छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए। सर्विस के पूर्ण महीने का गणन करते वक्त, महीने को अगले उच्चतम तक राउण्ड ऑफ किया जाए अगर वह 15 दिन से ज्यादा होता है।

23 परिणत छुट्टी :

(1) देय अर्ध वेतन छुट्टी की मात्रा से आधा से ज्यादा नहीं की परिणत छुट्टी को, कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रदान किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों पर :

(ए) छुट्टी प्रदान करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारी को संतुष्टि होती है कि छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी वापस ड्यूटी पर आ जाने की संभावना है :

(बी) जब परिणत छुट्टी प्रदान किया जाता है, ऐसी छुट्टी की मात्रा के दुगुने को बकाया अर्ध वेतन छुट्टी से कटौती की जाएगी ;

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए उप खंड (सी) को हटा दिया गया)

(2) 180 दिन की अधिकतम अर्ध वेतन छुट्टी को पूरे सर्विस (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए) के दौरान परिणत किए जाने की अनुमति दी जाए, जहाँ ऐसी छुट्टी को, छुट्टी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन हित में प्रमाणित अध्ययन के अनुमोदित कोर्स केलिए प्रयोग किया गया है।

(3) जहाँ कर्मचारी, जिसे परिणत छुट्टी प्रदान किया गया है, ने सर्विस से इस्तीफा दे दिया या ड्यूटी पर वापस आए बगैर ही स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई हो, तो परिणत छुट्टी को अर्ध वेतन छुट्टी के रूप में माना जाएगा और परिणत छुट्टी एवं अर्ध वेतन छुट्टी के मामले में छुट्टी वेतन के बीच के अंतर को प्रतिलभ्य किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी प्रतिलभ्य नहीं किया जाएगा अगर सेवानिवृत्ति, आगे की सर्विस केलिए कर्मचारी बुरे स्वास्थ्य से अयोग्य हो जाता है, के कारण से होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है ।

टिप्पणी : परिणत छुट्टी को कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, तब भी जब उसको अर्जित छुट्टी देय होती है, प्रदान किया जाए।

(4) 60 दिन की अधिकतम परिणत छुट्टी को महिला कर्मचारी को, बिना चिकित्सा प्रमाण के, प्रसूति छुट्टी की निरंतरता में प्रदान किया जा सकता है।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए उप खंड (4) को जोडा गया)

24 अदेय छुट्टी (अर्जन शोध्य/अनर्जित छुट्टी)

(1) सेवानिवृत्त की तैयारी छुट्टी के मामले में, अदेय छुट्टी को, स्थायी तौर पर नियोजित या अर्ध स्थायी नियोजित के कर्मचारी को प्रदान किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों पर :

(ए) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि उसकी समाप्ति पर, कर्मचारी ड्यूटी पर वापस आने की उचित संभावना है ;

(बी) अदेय छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी, जिसे बाद में उसके द्वारा अर्जित किए जाने की संभावना है, का आधा होगा।

(सी) कर्मचारी को उसके पूरे सर्विस के दौरान, अदेय छुट्टी को चिकित्सा प्रमाण पर, अधिकतम 360 दिनों तक ही सीमित प्रदान किया जाएगा।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए उप खंड (सी) को प्रतिस्थापित किया गया)

(डी) अदेय छुट्टी को, कर्मचारी द्वारा बाद में अर्जित की जानी वाली अर्ध वेतन छुट्टी से कटौती किया जाए ।

(2) अदेय छुट्टी को अस्थायी कर्मचारी को प्रदान किया जाए, जो पूरे सर्विस के दौरान 360 दिनों से ज्यादा नहीं की अवधि केलिए टी.बी लेप्रसी, केन्सर या मानसिक बिमारी से पीडित है, बशर्ते कि उप विनियम (1) के खंड (ए), (ख) एवं (घ) की शर्तों को पूरा करता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों पर :

(i) यह कि कर्मचारी को कम से कम एक वर्ष की सर्विस करनी होगी ;
(ii) यह कि पद जिसपर से कर्मचारी छुट्टी में जाता है, संभवतः लौट कर उसे ड्यूटी पद उसी पद पर आना है और ;
(iii) यह कि ऐसी छुट्टी को प्रदान करने हेतु का अनुरोध विनियम 25 के उप विनियम (2) के खंड (सी) व (डी) में परिकल्पितानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है ।

(3) (क) जहाँ कर्मचारी, जिसे अदेय छुट्टी प्रदान किया गया है, सर्विस से इस्तीफा दे देता है या ऐसी छुट्टी के अर्जन से पहले सर्विस से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे बाद की अर्जित न की गई छुट्टी के हद तक के वेतन को प्रतिलभ्य करना उसका दायित्व है ;

(ख) जहाँ कर्मचारी, जिसने अदेय छुट्टी प्राप्त कर लिया है और ड्यूटी पर वापस आता है तथा सर्विस से इस्तीफा दे देता है या ऐसी छुट्टी के अर्जन से पहले सर्विस से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे बाद की अर्जित न की गई छुट्टी के हद तक के वेतन को प्रतिलभ्य करना उसका दायित्व है ;

बशर्ते कि खंड (ए) या खंड (बी) के तहत कोई भी छुट्टी वेतन प्रतिलभ्य नहीं किया जाएगा अगर सेवानिवृत्ति, आगे की सर्विस केलिए कर्मचारी बुरे स्वास्थ्य से अयोग्य हो जाता है, के कारण से होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है ।

बशर्ते कि खंड (ए) या खंड (बी) के तहत कोई भी छुट्टी वेतन प्रतिलभ्य नहीं किया जाएगा अगर कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सर्विस (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 48 (1) (बी) के तहत समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है या उसको नोटिस देते हुए या लिखित रूप में 3 महीने से कम नहीं में या टीपीटीई (सेवानिवृत्त) विनियम, 1979 के विनियम (5) के तहत ऐसी नोटिस के बदले 3 महीने का वेतन एवं भत्ता देते हुए, सेवानिवृत्त किया जाता है।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए उपर्युक्त प्रावधान को जोडा गया)

25 असाधारण छुट्टी :

1 कर्मचारी को असाधारण छुट्टी विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान किया जाएगा :–

(ए) जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य नहीं है,

(बी) जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य नहीं है लेकिन कर्मचारी असाधारण छुट्टी प्रदान करने हेतु लिखित रूप में प्रतिवेदन करता है ।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए उप विनियम (1) को जोडा गया)

2 जब तक अध्यक्ष असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, मामले की अन्यथा निर्धारण नहीं करते कि, कोई भी कर्मचारी, जो स्थायी नियोजित या अर्ध स्थायी नियोजित नहीं है, को निम्नलिखित दायरों से ज्यादा के किसी भी एक अवसर पर असाधारण छुट्टी प्रदान कर सकते हैं ;

(ए) चिकित्सा प्रमाण के बगैर तीन महीना ;

(बी) आम रोग केलिए छह महीना, जहाँ कर्मचारी ने इन विनियमों के तहत स्वीकार्य एवं देय किसी भी प्रकार की छुट्टी की तारीख, जिसमें विनियमों द्वारा अनिवार्यतानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित ऐसी छुट्टी केलिए उसका अनुरोध और खंड (ए) के तहत तीन महीने की असाधारण छुट्टी शामिल है से एक वर्ष की लगातार सर्विस पूरी की है ;

(सी) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अठारह महीना, जहाँ कर्मचारी, जिसने केन्सर, मानसिक बीमारी, पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबुलर ऑरिजिन का प्लूरिसी, शरीर के किसी भी भाग का ट्यूबरक्लोसिस एवं लेप्रसी के लिए चिकित्सा करते हुए एक वर्ष की लगातार सर्विस पूरी की है ;

(डी) अठारह महीना, जहाँ कर्मचारी ने निम्न के लिए चिकित्सा करते हुए एक वर्ष की लगातार सर्विस पूरी की है –

(i) मान्यता प्राप्त सेनटोरियम में पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबुलर ऑरिजिन का प्लूरिसी ;

टिप्पणी : अठारह महीने तक की असाधारण छुट्टी का शिथिलन, उस कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगा, जो पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबुलर ऑरिजिन के प्लूरिसी से पीडित है और एक राज्य प्रशासनित चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त ट्यूबरक्लोसिस विशेषज्ञ के अधीन अपने निवास में ही इलाज़ प्राप्त कर रहा है और उसके इलाज़ केलिए तथा सिफारिश की गई छुट्टी समाप्त होते ही उसके द्वारा ठीक हो जाने की संभावना अत्यधिक है के लिए, उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

(ii) अर्हता प्राप्त ट्यूबरक्लोसिस विशेषज्ञ या सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन द्वारा शरीर के किसी भी अन्य भाग का ट्यूबरक्लोसिस, या

(iii) मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग/कोढ़ संस्थान या राज्य प्रशासनित चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग अस्पताल में सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन या विशेषज्ञ द्वारा कुष्ठ रोग ।

(ई) चौबीस महीने, जहाँ लोक हित हेतु प्रमाणित अध्ययन को पढ़े जाने के उद्देश्य केलिए छुट्टी की जरूरत है बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी ने देय प्रकार की छुट्टी की समाप्ति की तारीख पर लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी की है और इन विनियमों के तहत स्वीकार्य है , जिसमें खंड (ए) के तहत तीन महीने का असाधारण छुट्टी शामिल है।

3 (ए) जहाँ कर्मचारी को उप विनियम (2) के खंड (ई) में निहित प्रावधानों के शिथिलन में असाधारण छुट्टी प्रदान की गई है, को ऐसी छुट्टी के दौरान बोर्ड द्वारा उपगत व्यय की वास्तविक रकम को बोर्ड को प्रतिलभ्य करने हेतु फॉर्म नं0 5 में बॉण्ड निष्पादित करने की जरूरत है प्लस कि ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस नहीं आने पर उसक पर के ब्याज सहित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा उपगत व्यय या ड्यूटी पर वापस आने के बाद 3 वर्ष की अवधि से पूर्व सर्विस को त्याग देना।

(बी) कर्मचारी की तुलना में उसके समतुल्य या उससे उच्चतम हैसियत रखने वाले दो स्थायी कर्मचारी की स्योरिटीस द्वारा समर्थित बॉण्ड ।

4 अनुसूचित जाति या जनजाति के कर्मचारियों को, समय समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित केन्द्रों पर प्रशिक्षण कोर्स की पूर्व परीक्षा में उपरिस्थत होने के उद्देश्य केलिए उप विनियम (2) के प्रावधानों के शिथिलन में विभागाध्यक्ष द्वारा असाधारण छुट्टी प्रदान किया जाए।

5 असाधारण छुट्टी का दो स्पेल, अगर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी द्वारा हस्तक्षेप होता है, तो उप विनियम (2) के उद्देश्य केलिए असाधारण छुट्टी के एक लगातार स्पेल के रूप में होने के समान माना जाएगा।

6 छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी, असाधारण छुट्टी में की छुट्टी के बगैर ही अनुपस्थिति की पूर्वव्यापी अवधि को परिवर्तित कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण 1 : तकनीकि तौर पर, आकस्मिक छुट्टी में रहने वाले कर्मचारी को स्टे से अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जाता है और उसके वेतन को रोका नहीं जाता, आकस्मिक छुट्टी फिरभी इस तरह से नहीं दी जानी चाहिए कि निम्न नियमों को टाला जा सके :

(i) वेतन एवं भत्ता को मान्यता देने की तारीख

(ii) कार्य का प्रभार लेने

(iii) छुट्टी की शुरूआत एवं अंत

(iv) ड्यूटी पर वापस आना या विनियम द्वारा स्वीकार्य समयोपरान्त छुट्टी की कालावधि को बढ़ाने हेतु ।

स्पष्टीकरण 2 : आकस्मिक छुट्टी को किसी भी एक केलण्डर वर्ष में 30 दिनों से ज्यादा की अवधि केलिए लेने की अनुमति कर्मचारी को नहीं दी जा सकती। 30 दिन से ज्यादा की अनुपस्थिति की अवधि को संबंधित व्यक्तियों को लागू छुट्टी विनियमों के तहत स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के रूप में माना जाना है। इस उद्देश्य केलिए कर्मचारी को, एक विशिष्ट मामले के रूप में, नियमित छुट्टी सहित विशेष आकस्मिक छुट्टी को जोडे जाने की अनुमति दी जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्टेरलैजेशन/रीकन्सीलियेशन के साथ जुडे विशेष आकस्मिक छुट्टी को नियमित

छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी के साथ उपसर्ग या प्रत्यय भी हो सकता है, लेकिन दोनो के लिए नहीं।

स्पष्टीकरण 3 : विशेष आकस्मिक छुट्टी को सिर्फ निम्न केलिए लागू किया जाए :

(ए) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन गतिविधियों केलिए और स्टेरलैजेशन ऑपरेशनों को करने केलिए, और

(बी) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के खेलकूदों में भाग लेने हेतु और जब संबंधित कर्मचारी ऐसी भागीदारी केलिए चयन होता है ।

(i) किसी भी राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन या अखिल भारतीय खेलकूद परिषदो द्वारा मान्यता संघ और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मामले में, या

(ii) राष्ट्रीय महत्व के इवेंटो के मामले में, जब खेलों में जहाँ सहभागिता होती है, जो इण्टरज़ोनल या इण्टरसर्कल आधार पर संपन्न किया जाता हे और पत्तन, स्टेट ज़ोन या सर्कल , जैसा मामला हो, की ओर से विधिवत् नामित प्रतिनिधि के रूप में टीम में संबंधित कर्मचारी भाग लेते हैं ।

(सी) विभागाध्यक्ष प्राकृतिक आपदाओं, बंद..... इत्यादि के मामले में विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान कर सकते हैं। कर्मचारी, जो मुख्यालय से दूर रहने के कारण और प्राकृतिक आपदाओं, बंद.... इत्यादि से हुए यातायात अव्यवस्था के कारण से उन्हें कार्यालय केलिए लंबी दूरी से आवाजाही करता पडता है, तो संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान किया जा सकता है।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए उप विनियम (सी) को जोडा गया)

यह शिथिलन, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, संबंधित कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में और न कि प्रतिनिधि की क्षमता में किए गए ऐसे प्रतिनिधित्व में भाग लेने केलिए लागू नहीं किया जाएगा।

26 परिवीक्षार्थी या परिवीक्षा में रहने वाले व्यक्ति या प्रशिक्षु का छुट्टी :

(1) (ए) परिवीक्षार्थी को इन विनियमों के तहत छुट्टी लेने का अधिकारी होगा, यदि वह परिवीक्षा के बजाय अन्यथा उस पद को ग्रहण किया गया होता ।

(बी) अगर किसी कारणवश परिवीक्षार्थी की सर्विस को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है तो उसको दी जाने वाली किसी भी प्रकार की छुट्टी को बढ़ाया नहीं जाएगा।

(i) पहले से ही मंजूरीकृत या बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने की तारीख से परे, या

(ii) उसको नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा उसको निरस्त किए जाने वाले तारीख से पहले की तारीख से परे ।

(2) परिवीक्षा के पद पर नियुक्त व्यक्ति को, अस्थायी या स्थायी पद के मुकाबले उसकी नियुक्ति के अनुसार अस्थायी या स्थायी कर्मचारी के रूप में, इन विनियमों के तहत छुट्टी लेने का हक दिया जाएगा ;

बशर्ते कि जहाँ ऐसा व्यक्ति पहले से ही ऐसी नियुक्ति से पूर्व स्थायी पद के ग्रहणाधिकार में है, को इन विनियमों के तहत, एक स्थायी कर्मचारी के रूप में छुट्टी लेने का हक दिया जाएगा।

(3) प्रशिक्षु को निम्न का हक होगा :

(ए) प्रशिक्षुता की अवधि के किसी भी वर्ष में एक महीने से ज्यादा की अवधि केलिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, अर्ध वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन पर, छुट्टी ।

(बी) विनियम 25 के तहत असाधारण छुट्टी ।

27 सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित व्यक्ति :

सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित व्यक्ति के मामले में, इन विनियमों के प्रावधान लागू होगें जैसे कि वह उसने पुनः नियोजन की तारीख पर पहले बार बोर्ड की सर्विस में प्रवेश किया था।

28 सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी :

(1) कर्मचारी जिसे विनियम 21 में निर्धारितानुसार देय अर्ध वेतन छुट्टी को शामिल करते हुए, 300 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं की अर्जित छुट्टी के हद तक, सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी लेने केलिए अनुमति दी जाए, बशर्ते कि ऐसी छुट्टी बढ़ाने तक जिसमें तारीख या सेवानिवृत्ति से पहले का वेतन शामिल है, के शर्त पर।

टिप्पणी : सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी के रूप में प्रदान की छुट्टी में असाधारण छुट्टी शामिल नहीं होगा।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 22.11.1996 के जरिए 300 दिन प्रतिस्थापित किया गया)

29 सेवानिवृत्ति से पूर्व या सर्विस छोडने की तारीख से परे छुट्टी :

(1) किसी भी कर्मचारी को निम्न से परे कोई छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी :

(ए) उसके सेवानिवृत्ति की तारीख, या

(बी) ड्यूटी पर उसके अंतिम सेस्सेशन की तारीख, या

(सी) सर्विस से उसका त्याग पत्र देने की तारीख, या

(डी) तारीख जिसे दिन से सेवानिवृत्ति की तैयारी की छुट्टी शुरू हुई होगी कि अगर उसे उप विनियम (2) के तहत मना नहीं किया गया होता ।

बशर्ते कि अगर किसी भी असाधारण मामले में यह जरूरी पड जाता है कि इस तारीख के बाद लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले छुट्टी प्रदान करना जरूरी पडता है तो छुट्टी प्रदान किया जाए और उसे उप विनियम (2) के तहत सेवानिवृत्ति के बाद उसको उपलब्ध छुट्टी के मुकाबले समायोजित किया जाता है।

(सा0का0नि 644 (असा0), दिनांकित 31.7.2000 के जरिए उप विनियम (2 व 3) को हटा दिया गया)

(4) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी, कर्मचारी के मामले में, जो उसके विरूद्ध अनुशासनिक या अपराधी कार्रवाई के दौरान या निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर, सर्विस से सेवानिवृत्त होता है, को अर्जित छुट्टी के समतुल्य नकद का भाग या पूरे को रोके रख सकता है, कि अगर उसकी दृष्टि में यह संभव हो सकता है कि उसके विरूद्ध की कार्रवाई समाप्त होते ही कुछ पैसो को प्रतिलभ्य किया जाना हो सकता है। कार्रवाई की समाप्ति पर, वह रोक रखे गए रकम से, पत्तन को देयो का समायोजन करते हुए, अगर कोई, बाकी को पाने का योग्य हो सकता है।

(सा0का0नि 644 (असा0), दिनांकित 31.7.2000 के जरिए उप विनियम (4) को प्रतिस्थापित किया गया)

(i) ऐसे बढ़ाई गई अवधि एवं आवश्यक पडने तक की अवधि के मामले में, किसी भी प्रकार की देय अर्जित छुट्टी की बढ़ाई गई अवधि के दौरान, अर्जित छुट्टी जिसे उप विनियम (2) के तहत उसको प्रदान किया जा सकता था कि अगर वह सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवानिवृत्त हुआ होता ।

(ii) बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद

(ए) अर्जित छुट्टी जिसे उसे उप विनियम (2) के तहत उसको प्रदान किया जा सकता था कि अगर वह सेवानिवृत्ति के तारीख को सेवानिवृत्त हुआ होता और ऐसी बढ़ाई गई अवधि के दौरान उपलब्ध ऐसी छुट्टी की रकम द्वारा काटौती की गई होती ; और

(बी) बढ़ाई गई अवधि के दौरान की किसी भी प्रकार की अर्जित छुट्टी, जैसे कि आाम तौर पर बढ़ाई गई अवधि के दौरान पर्याप्त समय में उसकी ड्यूटी के अंतिम सेस्सेशन की तैयारी के रूप में के अनुसार स्वीकृति दी गई है और लोक सेवा की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे इंकार कर दिया गया है।

(6) जहाँ कर्मचारी, जिसको उप विनियम (1) के खंड (सी) को छुट्टी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया है, वह अपने आप ही अर्जित छुट्टी अगर कोई, के छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद प्रदान करने के आदेश के रूप में जारी होता है, जो कि ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख को कर्मचारी के नामे है, बशर्ते कि अधिकतम 300 दिन है।

बशर्ते किस कर्मचारी, जो बोर्ड द्वारा अवधि के दौरान, जिसके लिए ऐसे वेतन एवं भत्ते दिए गए थे, के अंदर की छुट्टी केलिए लागू नोटिस के बदले उसको वेतन और भत्ता देते हुए सेवानिवृत्त किया गया और जहाँ ऐसी छुट्टी प्रदान की गई, तो लागू की गई नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ता के लिए उस अवधि को छोडते हुए छुट्टी की अवधि केलिए सिर्फ छुट्टी वेतन उसको प्रदान किया जाता है।

(7) जहाँ कर्मचारी की सर्विस को नोटिस देते हुए या नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ता देते हुए या अन्यथा उसकी नियुक्ति की शर्तो एवं उपबंधों के अनुसरण में समाप्त कर दिया जाता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने आप ही सर्विस में उनके द्वारा रहे जाने पर उस तारीख को उनके खाते में की अर्जित छुट्टी के मामले में के समतुल्य छुट्टी नकद प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि अधिकतम 300 दिनों तक है।

अगर कोई कर्मचारी सर्विस से इस्तीफा देता है या को छोड देता है तो छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी उसे अपने आप ही सर्विस के सेसस्शन की तारीख को उनके खाते में की अर्जित छुट्टी के मामले में के समतुल्य छुट्टी नकद प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि अधिकतम 150 दिनों तक है।

30 सर्विस में मुत्यु होने के मामले में, छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद :

सर्विस के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारी के मामले में, उस मृत कर्मचारी की छुट्टी वेतन के समतुल्य का नकद वह होगा जो कि उसके लिए देय अर्जित छुट्टी के बराबर अगर वह छुट्टी पर गया न होता और उसको स्वीकार्य है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण की तारीख से तुरंत की तारीख और किसी भी कारण से 300 दिनों से ज्यादा केलिए छुट्टी वेतन नहीं होना चाहिए, उसके परिवार को अदा किया जाएगा बिना मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेन्शन की रकम से कटौती किए।

टिप्पणी : विनियम के तहत छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद के अतिरिक्त, मृत कर्मचारी के परिवार को समय समय से इस ओर में जारी आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता का भुगतान भी दिए जाने का हक उनको है।

31 अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख पर प्रयोजित अर्जित छुट्टी का भुनाना :

अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय पर कर्मचारी के नामे की अर्जित छुट्टी की अवधि के मामले में छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद कर्मचारी को अदा किया जाना है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तो पर :

(ए) छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद का भुगतान, अर्जित छुट्टी के 300 दिनों तक अधिकतम सीमित होगा ।

(बी) स्वीकार्य छुट्टी वेतन का समतुल्य नकद, सेवनिवृत्ति पर देय होगा और एकसमय की चुकौती के रूप में एक मुश्त रकम मे अदा किया जाएगा :

(सी) इस विनियम के तहत नकद भुगतान, सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू दरों पर, अर्जित छुट्टी केलिए स्वीकार्य के रूप में छुट्टी वेतन और उस छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य महँगाई भत्ता के समतुल्य होगा ।

(डी) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी अपने आप ही सेवानिवृत्ति के तारीख को जमा हुए अर्जित छुट्टी के समतुल्य नकद प्रदान करने हेतु आदेश जारी करेगें।

(सा0का0नि 535 (असा0), दिनांकित 31.7.2000 के जरिए स्पष्टिकरण को हटा दिया गया)

31 (ए) 1 सर्विस में अर्जित छुट्टी के नकदीकरण केलिए कार्यपद्धति :

1 हरेक कर्मचारी को केलण्डर वर्ष में एक बार, अर्जन छुट्टी को नकदीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। कर्मचारी के नामे की बकाया छुट्टी का 50 प्रतिशत तक सीमित होगा और बशर्ते कि साथ ही साथ उसे कम से कम 7 दिन का अर्जित छुट्टी लेना होगा या पहले कभी विभिन्न अवधियों में लिया होना चाहिए और शेष को नकदीकरण के समय पर लेना होगा।

2 भुनाने अर्जित छुट्टी को, कर्मचारी के अर्जित छुट्टी खाते से घटाई जाएगी, मानो कि वास्तविक रूप में उसके द्वारा लिया गया हो।

3 उपलब्ध अर्जित छुट्टी और एक समय पर नकदीकरण की गई अर्जित छुट्टी का कुल 300 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

4 ऐसे भुनाने की रकम में वेतन और भत्ता , जैसे कि महँगाई भत्ता, नियत महँगाई भत्ता, विशेष महँगाई भत्ता और गैर–अभ्यास भत्ता एवं अन्य कोई भत्ता, जिसे इस उद्देश्य के लिए विशेषतः वर्गीकृत किया गया है होगा, और जिसके लिए कर्मचारी योग्य हुआ होना चाहिए, जैसे कि वह छुट्टी पर गया हुआ हो, लेकिन जिसमें बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, सीसीए एवं अन्य कोई भत्ता शामिल नहीं है और अग्रिम तौर पर अदा किया जाना है।

5 समपर्ण के बदले दी गई रकम को किसी भी उद्देश्य केलिए मेहनताना के रूप में माना नहीं जाएगा। और इसे, भवष्यि निधि, अंशदान, ऋण, अग्रिम.... इत्यादि के मामले में प्रतिलभ्यों के रूप में भी नहीं लिया जाना है।

6 कर्मचारी जो भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य सार्वजनिक निकाया या अन्य पत्तनों में, फॉरन सर्विस उपबंधो पर प्रतिनियुक्त हैं, इन विनियमों के लाभ केलिए भी योग्य होगें, जिसका संपूर्ण देयता तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा उठाया जाएगा।

31–बी अर्ध वेतन छुट्टी का भुनाना :

1 कर्मचारी के नामे, जो कि अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त/प्री–मेच्योर सेवानिवृत्त होते हैं, को संपूर्ण अर्ध वेतन छुट्टी का भुनाना करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि अन्य सेवानिवृत्त लाभों को पेन्शन एवं पेन्शन समतुल्य को, नकद समतुल्य के रूप में, अदा रकमों से कटौती की जानी है।

2 भुनाना निम्नलिखित शर्तों पर होगा :–

(ए) भविष्य सेवानिवृतकों के मामले में, एचपीएल का भुनाना, गणन करते हुए अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के साथ अदा किया जाएगा।

(बी) नामे की अर्ध वेतन छुट्टी के मामले में, नकद समतुल्य का गणन, नीचे निर्धारितानुसार की पद्धति में किया जाएगा :

एचपीएल के नकद भुगतान अर्ध वेतन छुट्टी के दिनों की संख्या
तारीख को देय महँगाई भत्ता प्लस वेतन के बदले
अर्ध वेतन, अगर स्वीकार्य सेवानिवृत्ति/छोडना
को सर्विस का छुट्टी (मैनस) पेन्शन
कॉम्पोनेण्ट = पेन्शन समतुल्य अधिवार्षिता

उपदान का, बशर्ते कि
और निर्धारित सीमाओं पर राहत
पेन्शन, अगर डीए है
स्वीकार्य पर
अर्ध वेतन छुट्टी X
....
30

(डी) गणन किए गए ऐसे रकम को, एकसमय की चुकौती के रूप में एक मुश्त रकम में अदा किया जाएगा।

32 छुट्टी वेतन :

(1) उप विनियम 5 व 6 में प्रबंधानुसार का छोडकर, कर्मचारी जो अर्जित छुट्टी पर हैं, को छुट्टी पर जाने से पूर्व तुरंत निकासी किए जा रहे वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन पाने का हक हैं ।

(2) कर्मचारी, जो अर्ध वेतन छुट्टी या अदेय छुट्टी पर हैं, को उप विनियम (1) में निर्दिष्ट रकम के आधे के छुट्टी वेतन समतुल्य, को पाने का हक है।

(3) परिणत छुट्टी पर के कर्मचारी को, उप विनियम (1) के तहत स्वीकार्य रकम के बराबर के छुट्टी वेतन को पाने का हक है।

(4) असाधारण छुट्टी पर के कर्मचारी को किसी भी प्रकार के छुट्टी वेतन को पाने का हक नहीं है।

(5) (ए) कर्मचारी, जिसे सेवानिवृत्ति या सर्विस को त्यागने की तारीख से परे छुट्टी प्रदान की गई है, जैसी स्थिति हो, को विनियम 30 में प्रबंध किए गए अनुसार, इस विनियम के तहत स्वीकार्यानुसार छुट्टी वेतन केलिए ऐसी छुट्टी के दौरान, अन्य सेवानिवृत्त लाभों के समतुल्य पेन्शन की रकम एवं पेन्शन द्वारा घटाई जाएगी।

(बी) ऐसी पुनःनियुक्ति के दौरान अगर, उसे पुनःनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके द्वारा अर्जित छुट्टी प्रदान की गई है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के समतुल्य पेन्शन से विशेष वेतन के आधार पर, छुट्टी वेतन दिया जाएगा।

(6) व्यक्ति के मामले में जिसपर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) लागू होता है, अर्जित छुट्टी को छोडकर के अन्य छुट्टी के दौरान देय छुट्टी वेतन को, तदनुरूप अवधि केलिए उक्त अधिनियम के तहत देय लाभों की रकम द्वारा घटाई जाएगी।

(7) (ए) अगर किसी मामले में, कर्मचारी जो उसको देय के नामे से ज्यादा की छुट्टी लेते हुए, सर्विस से सेवानिवृत्त या सर्विस को त्याग देता है, तो छुट्टी वेतन, अगर कोई अत्यधिक निकासी की हुई होती है, के मामले में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

(बी) जहाँ अर्जित छुट्टी की मात्रा, कर्मचारी द्वारा पहले से ही उपलब्ध कर ली गई हो, जिसे सेर्विस पदच्युत कर दिया गया है या हटा दिया गया है या सर्विस के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके नामे छुट्टी अत्यधिक होती है, तो

ऐसे मामलो में छुट्टी वेतन के अत्यधिक देय भुगतान को, प्रतिलभ्य किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : (i) कर्मचारी, जिसे विनियम 30 के प्रावधानों के तहत टर्मिनल या रिफ्यूस्ड छुट्टी प्रदान किया गया है, को छुट्टी वेतन एवं भत्ता के समतुल्य का एकमुश्त रकम अदा किया जाएगा, अगर कोई, जो एक समय की चुकौती के रूप में, ऐसी छुट्टी की संपूर्ण अवधि केलिए ऐसी छुट्टी के दौरान स्वीकार्य है।

(ii) सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी के दौरान निजी रोजगार केलिए अनुमति नहीं दी जाएगी। फिरभी, कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी पर है, को विशेष मामले में, उसको स्वीकार्य छुट्टी वेतन के दर में किसी प्रकारी की प्रतिबंधन के सार्वजनिक निकायों में रोज़गार लेने की अनुमति दी जाए।

33 छुट्टी वेतन का निष्कासन :

इन विनियमों के तहत देय छुट्टी वेतन को भारत में रुपयों में निष्कासन किया जाएगा।

34 छुट्टी वेतन का अग्रिम :

कर्मचारी, जिसमें 30 दिन से कम की नहीं अवधि केलिए छुट्टी पर जाने वाले फॉरन सर्विस पर के कर्मचारी शामिल हैं, को एक महीने के वेतन के बदले अग्रिम स्वीकृत किया जाए, जिसमें सामान्य वित्तीय नियम, 1963 में प्रबंधानुसार भत्ता शामिल है, बशर्ते कि आयकर, भविष्य निधि, मकान किराया, अग्रिम का प्रतिलभ्य.... इत्यादि की कटौती होगी।

35 प्रसूति छुट्टी :

1 महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु को छोडकर) जिनके जीवित बच्चों की संख्या दो से कम है को प्रसूति छुट्टी, उसके शुरूआत की तारीख से 135 दिनों की अवधि केलिए छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ऐसी अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से पूर्व तुरंत लिए गए वेतन के बराबर की छुट्टी वेतन अदा की जाएगी ।

टिप्पणी : व्यक्ति के मामले में, जिसपर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) लागू होता है, इस विनियम के तहत देय छुट्टी वेतन के रकम को तदनुरूप अवधि केलिए उक्त अधिनियम के तहत देय लाभों की रकम द्वारा घटाई जाएगी।

2 विनियम 14 में बताए गए अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करते हुए, गर्भपात को शामिल करते हुए गर्भस्नाव के मामले में, महिला कर्मचारी (चाहे कितने भी जीवित बच्चे हों) को 6 हफ्ते से ज्यादा के लिए नहीं की प्रसूति छुट्टी भी प्रदान किया जा सकता है।

3 (ए) प्रसूति छुट्टी को, किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त किया जा सकता है।

3 (बी) प्रसूति छुट्टी के सिलसिले में :

देय किसी भी प्रकार की छुट्टी और अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए स्वीकार्य (60 दिनों से ज्यादा की नही की अवधि केलिए परिणत छुट्टी एवं देय नहीं छुट्टी को शामिल करते हुए), अगर लागू होता है, तो (उप विनियम 1) के तहत प्रदान की गई प्रसूति छुट्टी के सिलसिले में, बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रदान किया जाए।

4 दत्तक माँ केलिए प्रसूति छुट्टी :

दत्तक माँ के मामले में, जो कि एक पत्तन कर्मचारी हैं, को देय प्रकार एवं स्वीकार्य छुट्टी की सुविधा (चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बगैर 60 दिन से ज्यादा के लिए नहीं की देय नहीं छुट्टी एवं परिणत छुट्टी शामिल है) 1 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं बढाई जाए, बशर्ते कि निम्नलिखि शर्तों पर :

(i) यह सुविधा उस दत्तक माँ द्वारा उपलब्ध नहीं किया जा सकता, जिसके साथ दत्तक के समय, पहले से दो जीवित बच्चे रहते हों।

(ii) चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बगैर, देय एवं स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी की अधिकतम स्वीकार्य अवधि 1 वर्ष तक की होगी, जिसे निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप, बच्चे की आयु द्वारा कम किया जाएगा :

(ए) अगर दत्तक बच्चे की आयु एक महीने से कम की है, तो एक वर्ष तक की छुट्टी लागू हो सकती है।

(बी) अगर दत्तक बच्चे की आयु, छह महीने की है तो छह महीने तक की छुट्टी लागू हो सकती है।

(सी) अगर दत्तक बच्चे की आयु 9 महीना या ज्यादा है तो, तीन महीने तक की छुट्टी लागू हो सकती है। अतः बच्चे को कम से कम तीन महीने तक माँ का ध्यान प्राप्त हो सकता है।

5 प्रसूती छुट्टी को छुट्टी खाते के मुकाबले कटौती नहीं की जा सकती :

स्पष्टीकरण : 1 गर्भावस्था अधिनियम, 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन के अधीन किया गया गर्भपात को भी, प्रसूति छुट्टी प्रदान करने के उद्देश्य के लिए, गर्भपात के मामले के रूप में विचार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण : 2 गर्भपात में, 'थ्रेटण्ड अबार्शन' शामिल नहीं है और 'थ्रेटण्ड अबार्शन' के मामले में प्रसूति छुट्टी प्रदान नहीं किया जा सकता ।

6 पुरुष कर्मचारी केलिए पितृत्व छुट्टी :

पुरुष कर्मचारी (प्रशिक्षु को शामिल करते हुए) जिसके दो जीवित बच्चों से कम बच्चें हैं, को उसकी पत्नी के कन्फाइण्टमेण्ट के दौरान 15 दिन की अवधि केलिए पितृत्व छुट्टी प्रदान किया जा सकता है। ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, उसे छुट्टी से जाने से पूर्व निकासी किए गए देय छुट्टी वेतन अदा किया जाएगा।

पितृत्व छुट्टी को छुट्टी खाते से कटौती नहीं की जाएगी और प्रसूति छुट्टी के मामले में की तरह ही, किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति के अधीन, इसे सामान्यतः नकारा नहीं जाना है।

7 विनियम 35 (1) एवं 35 (i) के तहत के प्रावधानों को देखते हुए, महिला कर्मचारी, जिसके मामले में, अधिसूचना की तारीख को नब्बे दिनो की अवधि समाप्त नहीं हुई है, को 135 दिन की प्रसूति छुट्टी का हक भी है । उसी तरह, पुरुष कर्मचारी को पितृत्व छुट्टी भी, उसकी पत्नी ने अगर बच्चे को जन्म दे दिया है, को अधिसूचिना की तारीख से 135 दिनों से पूर्व की तारीख पर, के मामले में अनुमति दी जा सकती है।

1 जानबूझ कर लगाए गए जख्मों केलिए विशेष अपंगता छुट्टी :

(1) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी, कर्मचारी (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) को, विशेष अपंगता छुट्टी प्रदान कर सकते हैं, जिसने कार्यालयीन पद के कारण से या जानबूझ कर अपने आप को चोट पहुँचाई हैं या जख्म करते हुए अपंग हुआ है।

(2) ऐसी छुट्टी को तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपंगता होने की घटना से तीन महीने के अंदर अपंग हुआ हो और उस व्यक्ति ने ध्यान आकर्षित करने हेतु अपंगता को बाहरी रूप से दिखाया भी ।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी छुट्टी प्रदान कर सकते हैं, अगर यह संतुष्टि होती है कि अपंगता होने के कारण से के ऐसे मामले में, जहाँ ऐसी घटना होने के बाद तीन महीने से ज्यादा केलिए अपंगता दिखाई पडती है, तो पर्मिट छुट्टी प्रदान किया जाना है ।

(3) प्रदान की गई ऐसी छुट्टी को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और किसी भी हालत में 24 महीने से ज्यादा केलिए नहीं होनी चाहिए।

(4) विशेष अपंगता छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त किया जा सकता है।

(5) विशेष अपंगता छुट्टी को एक और बार दिया जा सकता है कि अगर भविष्य की तारीख में अगर ऐसी ही परिस्थिति में इस तरह की घटना दुबारा घटती है या फिर उसी जगह पर चोट होता है, लेकिन ऐसी छुट्टी 24 महीने से ज्यादा केलिए नहीं होगी और किसी एक अपंगता के कारण से ही ऐसी छुट्टी प्रदान की जाएगी।

(6) विशेष अपंगता छुट्टी को पेन्शन केलिए सर्विस का गणन करते समय ड्यूटी के रूप में गिना जाना चाहिए और उप विनियम (7) के खंड

(बी) के प्रावधान के तहत प्रदान की गई छुट्टी को छोडकर, छुट्टी खाते से घटाया जाना है।

(7) ऐसी छुट्टी के दौरान का छुट्टी वेतन होगा :–

(ए) ऐसी छुट्टी की किसी भी अवधि के पहले 120 दिन केलिए, जिसमें उप विनियम (6) के तहत प्रदान की गई ऐसी छुट्टी भी शामिल है, के बराबर का छुट्टी वेतन, अर्जित छुट्टी पर होना है : और

(बी) किसी भी ऐसी छुट्टी के बाकी की अवधि केलिए, अर्ध वेतन छुट्टी के दौरान के छुट्टी वेतन के बराबर दी जाए।

बशर्ते कि कर्मचारी, अपने विकल्प पर, एक और 120 दिन से ज्यादा की अवधि केलिए खंड (ए) में के अनुसार छुट्टी वेतन अनुमोदित किया जाना है और ऐसी छुट्टी की अवधि के उपलक्ष्य में, उसके अर्ध वेतन छुट्टी खाते से कटौती की जाए।

(8) (ए) एक व्यक्ति के मामले में, जिसे कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू होता है, इस विनियम के तहत देय छुट्टी वेतन की रकम को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (घ) के तहत भुगतानी क्षतिपूर्ति की रकम द्वारा घटाई जानी है।

(बी) एक व्यक्ति के मामले में, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है, इस विनियम के तहत भुगतानी छुट्टी वेतन के रकम को, तदनुरूप अवधि केलिए उक्त अधिनियम के तहत देय लाभों के रकम द्वारा घटाई जानी है।

37 दुर्घटनाजन्य चोटों केलिए विशेष अपंगता छुट्टी :

(i) विनियम 36 को प्रावधान, कर्मचारी चाहे स्थायी हो या अस्थायी, को भी लागू होगा,जो दुर्घटनाग्रस्त होने की चोट से या अपनी कार्यालयीन ड्यूटी के निष्पादन के कारण या उसकी कार्यालयीन पद या किसी विशेष ड्यूटी के निर्वाहन में आई बीमारी की वजह से अपंग हुआ है, जिसकी वजह से उसके द्वारा पदभार किए जा रहे पद से कुर्क साधारण खतरों से परे की चोट या बीमारी, उनकी देयता को बढाने पर प्रभावी होता है।

2 ऐसे मामलो में विशेष अपंगता छुट्टी को प्रदान किया जाए बशर्ते कि आगे के शर्तों पर

(i) कि रोग के कारण से अपंगता को पत्तन के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है जो कि सीधे विशिष्ट ड्यूटी के निष्पादन से सीधे जुडा होना चाहिए।

(ii) कि अगर कर्मचारी को सर्विस के दौरान ऐसी अपंगता हुई है तो, इसे छुट्टी मंजूरी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के राय में, चरित्र में असाधारण मानते हुए होना चाहिए ; और

(iii) कि पत्तन के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश अनुपस्थिति की अवधि को इस विनियम के तहत छुट्टी एवं छुट्टी के किसी भी प्रकार के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है और कि अर्जित छुट्टी के लिए स्वीकार्य के समतुल्य छुट्टी वेतन पर, प्रदान की गई विशेष अपंगता छुट्टी की रकम, 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

38 अस्पताल छुट्टी :

1 छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी, कर्मचारी को अस्पताल छुट्टी प्रदान कर सकते हैं, जिसकी ड्यूटी में खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, गहरीले ड्रग्स एवं इस तरह की सम्हलाई करना है या अस्पताल में मेडिकल चिकित्सा के अधीन के दौरान खतरनाक कार्यो का निष्पादन करना है या अन्यथा, शामिल हैं, जिससे कि उसके कार्यालयीन ड्यूटी के दौरान होने वाले जोखिमों के कारण से सीधे बीमारी या चोट होती है।

2 अस्पताल छुट्टी, पत्तन चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त मेडिकल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी।

3 प्रदान करने वाले प्राधिकारी के अनुसार ऐसी अवधि केलिए अस्पताल छुट्टी को प्रदान किया जाए कि अगर छुट्टी वेतन पर इसे आवश्यक समझा जाए।

(i) ऐसी छुट्टी की किसी भी अवधि के पहले 120 दिनों केलिए अर्जित छुट्टी पर के दौरान की छुट्टी वेतन के समतुल्य ; और

(ii) किसी ऐसी छुट्टी के बाकी की अवधि केलिए अर्ध वेतन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन के समतुल्य ।

4 अस्पताल छुट्टी को छुट्टी खाते से घटाया नहीं जाना चाहिए और किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त किया जा सकता है, जिसे स्वीकार्य समझा जाए, बशर्तें कि ऐसे संयुक्त के बाद, छुट्टी की कुल अवधि, 28 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

5 (ए) व्यक्ति के मामले में, जिसे कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू होता है, विनियम के तहत भुनानी छुट्टी वेतन के रकम को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (डी) के तहत, भुनानी क्षतिपूर्ति के रकम से कटौती किया जाएगा।

(बी) व्यक्ति के मामले में, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) लागू होता है, विनियम के तहत भुनानी छुट्टी वेतन के रकम को, अनुरूप अवधि केलिए उक्त अधिनियम के तहत भुनानी लाभ के रकम से कटौती किया जाएगा।

39 सीमेन की बीमारी छुट्टी :

(1) कर्मचारी जो वेसल के बोर्ड पर सर्विस कर रहा हो और बीमारी या चोट केलिए उसके वेसल या अस्पताल में, मेडिकल चिकित्सा प्राप्त कर रहा हो तो छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा छह हफ्ते से ज्यादा की अवधि केलिए नहीं केलिए छुट्टी वेतन समतुल्य पर, उसे छुट्टी प्रदान कर सकते हैं।

बशर्ते कि ऐसी छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी कि अगर पत्तन चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाण करते हैं कि कर्मचारी एक मिथ्यारोपी है या उसकी यह दुर्दशा उसका पियकड होना है या किसी तरह से वह खुद जिम्मेवार है या उसकी खुद की गतिविधि है जिसकी वज़ह से उसे चोट या बीमारी बडी है। ,

(2) सीमेन जो उसके कार्यनिर्वाहन के दौरान अयोग्य बनाहो को तीन महीने से ज्यादा के लिए नहीं की अधिकतम अवधि केलिए पूरे वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन पर छुट्टी जाने की अनुमति दी जा सकती है, अगर निम्नलिखित शर्तो को पूरा किया जाता है, अर्थात् :–

(ए) पत्तन चिकित्सा अधिकारी को अयोग्यता का प्रमाण देना जरूरी है

(बी) अयोग्यता होने का कारण कर्मचारी की खुद की लापरवाही या अनुभवहीनता नहीं होनी चाहिए ;

(3) (ए) व्यक्ति के मामले में, जिसे कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू होता है, विनियम के तहत भुनानी छुट्टी वेतन के रकम को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (डी) के तहत, भुनानी क्षतिपूर्ति के रकम से कटौती किया जाएगा।

(बी) व्यक्ति के मामले में, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) लागू होता है, विनियम के तहत भुनानी छुट्टी वेतन के रकम को, अनुरूप अवधि केलिए उक्त अधिनियम के तहत भुनानी लाभ के रकम से कटौती किया जाएगा।

(4) सीमेन की बीमारी छुट्टी को छुट्टी खाते से घटाया नहीं जाना है और उसे किसी अन्य प्रकार की छुट्टी, जो कि स्वीकार्य है बशर्ते कि ऐसे संयोजन के बाद, छुट्टी की कुल अवधि, 28 महीने से ज्यादा नहीं होगी , के साथ संयोजन किया जा सकता है।

40 **संगरोध छुट्टी :** (1) जहाँ, कर्मचारी के घर या परिवार , उसकी ड्यूटी स्थल पर या आवास या संगत में उप–विनियम (2) में संदर्भितानुसार संक्रामक बीमारी की उपस्थिति के कारण, कार्यालय में उसकी उपस्थिति से अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकता है, तो ऐसे कर्मचारी को संगरोध छुट्टी प्रदान किया जा सकता है।

(2) (ए) उप–विनियम (1) के उद्देश्य केलिए, कॉलेरा, स्माल–पॉक्स, प्लेग, डिफ्थेरिया, टैफस बुखार एवं सेरिब्रोस्पैनल मेनैनग्टिस को संक्रामक बीमारी के रूप में माना जा सकता है। चिकनपॉक्स को फिरभी, संक्रामक बीमारी के रूप में नहीं माना जाएगा, जबतक कि बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी या लोक स्वास्थ्य अधिकारी ऐसा मानते हैं कि यह बीमारी (उदाहरण के लिए चिकनपॉक्स) सही प्रकृति से संदेहपूर्ण है, और इसलिए ऐसी छुट्टी को प्रदान किया जा सकता है।

(बी) कर्मचारी के मामले में, जो राज्य सरकार के प्रशासनाधीन के क्षेत्र में कार्यरत्त है और सरकार द्वारा उस राज्य में लागू संगरोध छुट्टी नियमों के उद्देश्य से संक्रामक के रूप में अन्य बीमारी को घोषित किया गया है, तो इसे विनियम के उद्देश्य से संक्रामक बीमारी के रूप में इसे विचार किया जा सकता है।

(3) (ए) मुख्यालय द्वारा, बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी या लोक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाण दिए जाने पर, संगरोध छुट्टी प्रदान किया जा सकता है जो कि 21 दिनों से ज्याद के नहीं होनी चाहिए और असमान्य परिस्थितियों में 30 दिन तक।

(4) संगरोध छुट्टी, बशर्ते कि उप विनियम (3) में अधिकतम निहित को प्रदान किया जा सकता है; जब जरूरत पड़ती है अन्य छुट्टी के अनुसरण में ।

(5) संगरोध छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी को ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाए, और उसके बदले किसी ऐसी छुट्टी के दौरान किसी प्रतिस्थानिक को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

41 **अध्ययन छुट्टी प्रदान करने की शर्तें :** (1) इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अध्ययन छुट्टी, जो कि उच्चतर शिक्षा या तकनीकि विषयों जो कि उसके कर्तव्य निर्वाहन से सीधे और करीब से संबंध रखता है, से मिलता जुलता भारत के अंदर या बाहर एक विशेष अध्ययन है, को करने केलिए सार्वजनिक सेवा की बाध्यताओं की वज़ह से प्रदान किया जा सकता है।

(2) अध्ययन छुट्टी निम्न केलिए भी प्रदान किया जा सकता है :

(i) पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या अध्ययन दौरे केलिए, जिसमें कर्मचारी नियमित शैक्षिक या अर्ध शैक्षिक पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकता, अगर उस अध्ययन के पाठ्यक्रम के दौरे या प्रशिक्षण को, बोर्ड द्वारा , जन हित की दृष्टि से लाभदायक समझा जाता है एवं कर्मचारी के कर्तव्य निर्वाहन के क्षेत्र से संबंधित होता है ; और

(ii) सार्वजनिक प्रशासन की पृष्ठ–भूमि या फ्रेमवर्क से संबंधित अध्ययनों के उद्देश्य केलिए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों पर कि –

(ए) छुट्टी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट अध्ययन या अध्ययन दौरे को अनुमोदन दिया जाना चाहिए ; और

(बी) लौट कर वापस आने के उपरान्त, कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी पर के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी ;

(iii) अध्ययनों केलिए, जो कि कर्मचारी के कार्य के साथ ना ही करीब से या सीधे संपर्क रखता है, लेकिन कर्मचारी को उसकी योग्यताओं को सुधारने की संभावनाओं के साथ उसके दिमाग की भी चौड़ा करने में सक्षम होता है और सार्वजनिक सेवाओं की अन्य शाखाओं में कार्यरत लोगों के साथ सहयोग करने केलिए उसे बेहतर तरीके से सन्नध्द करता है।

टिप्पणी : खंड (iii) के तहत आने वाले अध्ययन छुट्टी के मामलों में के लिए आवेदनों को, हरेक मामले की उत्कृष्टता पर विचार किया जाएगा।

(3) अध्ययन छुट्टी तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक –

(i) यह प्रमाणित नहीं किया जाता कि लोक हित का रखते हुए, अध्ययन का ये प्रस्तावित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण केलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी प्रदान किया गया है।

(ii) यह शैक्षणिक या सहित्यिक विषयों के अलावा अन्य अध्ययनों का अभियोजन है :

बशर्ते कि एक चिकित्सा अधिकारी को, चिकित्सा विज्ञानों में स्नाताकोत्तर अध्ययन के पाठ्यक्रम का अभियोजन करने केलिए अध्ययन छुट्टी प्रदान किया जा सकता है, अगर बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाण करते हैं कि ऐसे अध्ययन से, ऐसे चिकित्सा अधिकारी को उसके कार्य निष्पादनों में दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता होगी।

बशर्ते कि एक विशेषज्ञ या तकनीकि व्यक्ति को, उसके कार्यभार के दायरे से सीधे संबंध रखने वाले अध्ययन के स्नाकतोत्तर पाठ्यक्रम का अभियोजन करने केलिए, हरेक मामले की उत्कृष्टता को देखते हुए अध्ययन छुट्टी प्रदान किया जा सकता है, अगर ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष प्रमाण करते हैं कि अध्ययन के पाठ्यक्रम से, विशेषज्ञ या तकनीकि व्यक्ति को, जैसी स्थिति हो, उसकी तकीनीकि मानकों एवं समक्षता को सुधारते हुए, उसके कार्यनिष्पादन के क्षेत्र में आधुनिक विकास के साथ उसके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और अतः बोर्ड उससे लाभान्वित होगा।

(iii) वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग ने अध्ययन छुट्टी प्रदान करने में शामिल विदेशी विनिमय को भी विमोचन करने की सहमति दी है, अगर ऐसी छुट्टी भारत के बाहर होती है।

(4) विषयों के अभियोजन केलिए, भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी जिसके लिए भारत में या वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग या शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किसी भी योजना के अधीन पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(5) सामान्य तौर पर कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी –

(i) जिसने सरकार के तहत पाँच वर्ष से कम की सेवा की हो ;

(ii) जिसने छुट्टी की समाप्ति के बाद कार्यभार संभालने की संभावित तारीख से तीन वर्ष के अंदर, जो सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिया है ।

(6) कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी ऐसे आवृत्ति में प्रदान नहीं की जाएगी कि उसे, उसकी छुट्टी की अनुपस्थिति में केडर मुश्किलों का सामना करना पड़े या उसके नियमित कार्य के संपर्क से हटाए जाने के रूप में समझना पड़े।

42 अध्ययन छुट्टी की अधिकतम रकम

एक कर्मचारी को दी जाने वाली अध्ययन छुट्टी की अधिकतम रकम होगी :

(ए) एक समय पर सामान्यतः 12 महीना ; और

(बी) चौबीस महीने के दौरान की उसकी सभी संपूर्ण सर्विस में (किसी अन्य नियमों के तहत अध्ययन या प्रशिक्षण केलिए प्रदान की गई इसी प्रकार की छुट्टी को शामिल करते हुए)

43 अध्ययन छुट्टी केलिए आवेदन :

1 (i) अध्ययन छुट्टी केलिए हरेक आवेदन को, छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त माध्यम के जरिए जमा करना होगा।

(ii) कर्मचारी द्वारा पढ़ी जाने वाली अध्ययन का पाठ्यक्रम एवं किसी भी परीक्षा को ऐसे आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

2 जहाँ कर्मचारी द्वारा ऐसे विवरणों को संपूर्ण रूप में उल्लेख करने में संभव नहीं होता है या अगर भारत छोडने के उपरान्त, भारत में अनुमोदन किए गए पाठ्यक्रम में उसे किसी प्रकार का बदलाव करना पड़ता है तो उसे छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी या मिशन प्रधान को तुरंत यथासंभव ऐसे विवरणों को जमा करना होगा, जैसी स्थिति हो और ऐसा नहीं होता है तो उसे अपने जोखिम पर ही इस संबंध में खर्चो को उठाते हुए पाठ्यक्रम पूरा करना है जब तक कि पाठ्यक्रम केलिए अध्ययन छुट्टी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं हो जाता।

44 अध्ययन छुट्टी की मंजूरी

(1) अध्ययन छुट्टी की स्वीकार्यता के संबंध में रिपोर्ट को सर्विस रिकार्ड का रखरखाव करने वाले अधिकारी से प्राप्त करना होगा। अध्ययन छुट्टी, अगर कोई कर्मचारी द्वारा पहले से ही प्राप्त की ली गई हो तो उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाना है।

(2) कर्मचारी स्थायी रूप से एक ही विभाग या स्थापना के केडर पर है ओर अस्थायी तौर पर दूसरे विभाग या स्थापना में कार्यरत है तो उसके लिए अध्ययन छुट्टी को प्रदान करने की शर्त यह होगी कि उसे छुट्टी प्रदान करने से पूर्व उसके द्वारा स्थायी रूप रहने वाले विभाग या स्थापना से सहमति प्राप्त करनी होगी।

(3) विदेश में अध्ययन करने केलिए जहाँ अध्ययन छुट्टी प्रदान की जाती है तो संबंधित मिशन प्रधान को संबंधित मंत्रालय के जरिए छुट्टी प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा तथ्य को सूचित किया जाना है।

टिप्पणी : मिशन के प्रधान को जैसी आवश्यकता हो, परिचय या इस तरह की सुविधाओं केलिए किसी भी पत्रों को जारी करने हेतु कर्मचारी द्वारा ही संपर्क किया जाना चाहिए।

(4) (ए) हरेक कर्मचारी, जो स्थायी तौर पर नियोजित है, और जिसे अध्ययन छुट्टी या ऐसी प्रकार की छुट्टी बढ़ाई गई है को, उसको प्रदान की गई ऐसी अध्ययन छुट्टी या बढ़ाई गई छुट्टी आरंभ होने से पूर्व, फॉर्म नं0 6 या फॉर्म नं0 7, जैसी स्थिति हो, में बॉण्ड निष्पादित करना होगा।

(बी) हरेक कर्मचारी, जो स्थायी तौर पर नियोजित नहीं है, और जिसे अध्ययन छुट्टी या ऐसी प्रकार की छुट्टी बढ़ाई गई है को, उसको प्रदान की गई ऐसी अध्ययन छुट्टी या बढ़ाई गई छुट्टी आरंभ होने से पूर्व, फॉर्म नं0 8 या फॉर्म नं0 9, जैसी स्थिति हो, में बॉण्ड निष्पादित करना होगा।

(5) (ए) अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद, कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी प्रदान करने वाले प्राधिकारी को, परीक्षा उत्तीर्ण या अध्ययन का विशेष पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाणों के साथ टिप्पणी सहित पाठ्यक्रम की शुरूआत एवं खत्म होने की तारीख एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रभारी की टिप्पणी अगर कोई को शामिल करते हुए, देनी होगी।

(बी) अगर भारत के बाहर के देश में अध्ययन किया जाता है, जहाँ भारतीय मिशन है तो प्रमाणों को संबधित मिशन के प्रधान को जमा करना होगा।

45 अध्ययन छुट्टी और अन्य प्रकार की छुट्टी के संयुक्त का लेखा

(1) अध्ययन की छुट्टी को, कर्मचारी के छुट्टी खाते से काटा नहीं जाएगा।

(2) अध्ययन की छुट्टी को अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ संयुक्त किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में, इस छुट्टी का किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से संयुक्त, सिवाय असाधारण छुट्टी को

छोड़कर, सामान्यतः 28 महीने या कर्मचारी की नियमित ड्यूटी से पीएचडी उपाधि के पाठ्यक्रम केलिए 36 महीने से ज्यादा की कुल अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस उप विनियम में निर्धारित 28/36 महीन की कुल अनुपस्थिति सीमा में अवकाश की अवधि भी शामिल है।

(3) कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी, किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के संयुक्त में प्रदान किया जाता है, अगर ऐसा वह चाहता है तो किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के दौरान अध्ययन का पाठ्यक्रम शुरू या कर सकता है और बशर्ते कि विनियम 18 में निहितानुसार की अन्य शर्तों को पूरा करता है एवं उसके मामले में अध्ययन भत्ता प्राप्त करता है।

बशर्ते कि ऐसी छुट्टी की अवधि किसी और अन्य अध्ययन के पाठ्यक्रम से संयोग होता है तो उसको अध्ययन छुट्टी के रूप में नहीं माना जाएगा।

46 अध्ययन के पाठ्यक्रम से परे बढ़ने वाली अध्ययन छुट्टी का विनियम

जब अध्ययन का पाठ्यक्रम, कर्मचारी को प्रदान की अध्ययन छुट्टी से कम होता है तो अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा होते ही कर्मचारी को ड्यूटी संभालनी होगी, जब तक कि छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिछली मंजूरी प्राप्त नही की जाती कि कम हुई अवधि को साधारण छुट्टी के रूप में माना जाना है।

47 अध्ययन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन

(1) भारत के बाहर उपलब्ध अध्ययन छुट्टी के दौरान, कर्मचारी का छुट्टी वेतन, उसके द्वारा ऐसी छुट्टी पर जाने से पूर्व बोर्ड की सेवा के दौरान पा रहे वेतन के बराबर होगा और महँगाई भत्ता के साथ साथ, घर किराया भत्ता एवं अध्ययन भत्ता इत्यादि जो विनियम 48 से 50 तक के प्रावधानों के अनुसार में स्वीकार्य है, मिलेगा।

(2) (ए) भारत में उपलब्ध अध्ययन छुट्टी के दौरान, कर्मचारी का छुट्टी वेतन, उसके द्वारा ऐसी छुट्टी पर जाने से पूर्व बोर्ड की सेवा के दौरान पा रहे वेतन के बराबर होगा और महँगाई भत्ता के साथ साथ, घर किराया भत्ता इत्यादि जो विनियम 51 के प्रावधानों के अनुसार में स्वीकार्य है, मिलेगा।

(बी) खंड (ए) के तहत के पूर्ण दर पर छुट्टी वेतन का भुगतान बशर्ते होगा कि कर्मचारी द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि उसके द्वारा किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, वृत्तिका या किसी अन्य प्रकार के अंशकालिक रोज़गार के मामले में पारिश्रमिक प्राप्त नहीं की जा रही है।

(सी) अध्ययन की छुट्टी के दौरान कर्मचारी द्वारा, विनियम 48 के उप विनियम (2) में बताए गए अनुसार छात्रवृत्ति, वृत्तिका या अन्य प्रकार के अंशकालिक रोज़गार के मामले में पारिश्रमिक के रूप में अगर कोई रकम प्राप्त किया जाता है तो उसे इस उप–विनियम के तहत भुनानी छुट्टी वेतन के मुकाबले समायोजन किया जाएगा बशर्ते कि छुट्टी वेतन को, अर्ध वेतन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन के रूप में भुगतान किए जाने वाले से कम की रकम तक कटौती नहीं की जाएगी।

(डी) अध्ययन भत्ता, भारत में अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन छुट्टी के दौरान अदा नहीं किया जाएगा।

48 अध्ययन भत्ता को प्रदान करने केलिए शर्तें

(1) अध्ययन भत्ता कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा जिसको मान्यता प्राप्त संस्थान से अध्ययन का विशेष पाठ्यक्रम करने या कार्य के किसी भी विशेष वर्ग के निरीक्षण केलिए किसी विशिष्ट दौरे में अतएव अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंत में किसी भी परीक्षा केलिए निर्धारित अवधि हेतु भारत के बाहर अध्ययन करने केलिए अध्ययन छुट्टी प्रदान की गई है।

(2) जहाँ कर्मचारी को उसकी छुट्टी वेतन के अतिरिक्त किसी भी स्रोत से उसको प्रदान किए गए पुरस्कार जो कि छात्रवृत्ति, वृत्तिका हो सकती है या किसी प्रकार की अंशकालिक रोज़गार के मामले में कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करने या कायम रखने हेतु अनुमति प्रदान की गई हो :—

(ए) किसी भी मामले में , कोई भी अध्ययन भत्ता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा जहाँ ऐसे छात्रवृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक (कर्मचारी द्वारा किसी भी छात्रवृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक के मूल्य से अदा की गई शुल्कों की लागत को काटौती करते हुए आता है) अन्य स्वीकार्य अध्ययन भत्ता की रकम से ज्यादा होता है ;

(बी) उन मामलो में जहाँ छात्रवृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक की निवल रकम, अन्यथा स्वीकार्य अध्ययन भत्ता से कम है, तो निवल छात्रवृत्ति या वृत्तिका या किसी भी प्रकार की अंशकालिक रोज़गार के पारिश्रमिक के मामले में के मूल्य के बीच के अंतर और अध्ययन भत्ता को छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(3) अध्ययन भत्ता, किसी भी अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी जो कि कर्मचारी उसकी अपनी इच्छानुसार की सुविधा केलिए उसके अध्ययन के पाठ्यक्रम में बाधा पहुँचाती है :

बशर्ते कि छुट्टी प्रदान करने वाले अधिकारी या मिशन के प्रधान, ऐसी अवधि केलिए अध्ययन भत्ता प्रदान करने केलिए प्राधिकृत हैं जो कि एक समय पर 14 दिनों से ज्यादा केलिए नहीं हो सकती और तो और इस प्रकार का बाधा बीमारी की वज़ह से होती हो।

(4) अध्ययन भत्ता, अध्ययन के पाठ्यक्रम के दौरान अवकाश की संपूर्ण अवधि केलिए लागू की जाएगी, बशर्ते कि —

(ए) कर्मचारी अवकाश के दौरान, छुट्टी प्रदान करने वाले कर्मचारी या सक्षम प्राधिकारी के निदेशाधीन अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम या प्रायौगिक प्रशिक्षण में उपस्थित होते हैं, जैसी स्थिति हो; या

(बी) ऐसे किसी भी प्रकार के निदेश की अनुपस्थिति में, वह छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी या मिशन के प्रधान को, जैसी स्थिति हो साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि अवकाश के दौरान उसने अध्ययन चालू रखी थी।

बशर्ते कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंत मे अगर अवकाश गिरने के मामले में, 14 दिन की अधिकतम अवधि की अनुमति दी जाएगी।

(5) अवधि जिस दौरान, अध्ययन भत्ता दी जानी है वह सभी स्वरूपों में 24 महीने से ज्यादा केलिए नहीं होगी।

49 अध्ययन भत्ता का दर

अध्ययन भत्ता का दर, ऐसे कर्मचारियों केलिए समय समय पर, केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।

50 अध्ययन भत्ता के भुगतान करने की पद्धति

(1) बशर्ते कि विनियम 48 के उप विनियम (2) (बी) में अध्ययन भत्ता का भुगतान इस शर्त पर होगा कि वह यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या वृत्तिका या किसी प्रकार की अंशकालिक रोज़गार के मामले में किसी अन्य प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

(2) अध्ययन भत्ता प्रावधिक तौर पर हरेक महीने के अंत में अदा किया जाएगा बशर्ते कि लिखित रूप में यह वचनबद्धता दी जाती है कि कर्मचारी, उसके द्वारा दावा किए गए अध्ययन भत्ता केलिए बिताए गए समय को उपयुक्त रूप से प्रयोजन किया गया और छुट्टी प्रदान करने वाल सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टी में उसकी अनुपस्थिति या उपस्थिति पर आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में चूकता है जिसकी वज़ह से किसी प्रकार के अत्यधिक भुगतान के लिए वह बोर्ड को प्रतिलभ्य करेगा।

(3) (ए) मान्यता प्राप्त संस्थान से अध्ययन की विशिष्ट पाठ्यक्रम के मामले में, अध्ययन भत्ता छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुनानी किया जाएगा कि अगर अध्ययन छुट्टी उस देश में बिताई गई है जहाँ भारतीय मिशन नहीं है और अन्य मामलो में मिशन के प्रधान द्वारा कर्मचारी द्वारा उसके दावे केलिए, समय समय पर उपस्थिति की उपयुक्त प्रमाण का समर्थन प्रस्तुत किया जाता है ।

(बी) अध्ययन भत्ता केलिए दावा करने के समर्थन में प्रस्तुत किए जानेवाले अनिवार्य की उपस्थिति के प्रमाण को, कालावधि की समाप्ति पर और अगर कर्मचारी शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन कर रहा हो या अन्य अन्य किसी संस्थानों में अध्ययन कर रहा हो तो तीन महीने से ज्यादा की नहीं की कालावधि में, अग्रप्रेषित किया जाना है।

(4) (ए) जब अनमोदित अध्ययन के पाठ्यक्रम में ऐसे अध्ययन के कोर्स शामिल नहीं हैं या संपूर्णतः ऐसे नहीं होते तो, कर्मचारी को छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी या मिशन के प्रधान को एक डायरी जमा करना होगा जिसमें यह बताया जाना है कि उसके अपने समय को कैसे व्यतीत किया और एक रिपोर्ट भी जिसमें पद्धतियों एवं प्रणालियों की प्रकृति को अंकित करना होगा जिसके आधार पर अध्ययन किया गया है तथा ऐसी पद्धतियों एवं संचालनों को भारत में प्राप्त शर्तों की संभावनाओ के सुझाव भी शामिल होगें।

(बी) छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि क्या डायरी एवं रिपोर्ट में दर्शाए गए समय को कर्मचारी द्वारा उपयुक्त रूप से प्रयोग में लाया गया और तदनुसार निर्णय लेगें कि किस अवधियों केलिए अध्ययन भत्ता प्रदान किया जाना है।

51 अध्ययन भत्ता के अलावा स्वीकार्य अतिरिक्त भत्ता

(1) अध्ययन छुट्टी के पहले 180 दिनों केलिए घर किराया भत्ता कर्मचारी को उसके द्वारा अध्ययन की छुट्टी पर जाने से पूर्व के स्टेशन पर समय समय उसको दिए गए स्वीकार्य दर पर अदा किया जाएगा। 180 दिनों से परे घर किराया भत्ता का भुगतान चाले रहेगा बशर्ते कि समय समय पर संशोधितानुसार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन नं0 2(37) – स्था0 ।। (बी)/64, दिनांकित : 27.11.1965 के पैरा 8 (डी) में निर्धारितानुसार प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(2) उप विनियम (1) के तहत स्वीकार्य के अनुसार घर किराया भत्ता को छोडकर और महँगाई भत्ता तथा अध्ययन भत्ता जहाँ स्वीकार्य है, उसको प्रदान किए गए अध्ययन छुट्टी की अवधि के मामले में, कोई अन्य भत्ता कर्मचारी को अदा नहीं किया जाएगा ।

52 अध्ययन छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ता

कर्मचारी, जिसको अध्ययन छुट्टी प्रदान की गई है को यात्रा भत्ता सामान्यतः अदा नहीं किया जाएगा लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में, बोर्ड ऐसे भत्ते के भुगतान केलिए मंजूरी दे सकता है।

53 अध्ययन केलिए शुल्क का लागत

कर्मचारी जिसे अध्ययन छुट्टी प्रदान किया गया है को सामान्यतः अध्ययन केलिए अदा किए जाने वाले शुल्कों के लागत को अपनी ओर से चुकाया जाना है लेकिन विशष्ट परिस्थितियों में, बार्ड द्वारा ऐसे शुल्कों को प्रदान करने की मंजूरी दी जा सकती है।

बशर्ते कि किसी भी हालात में, शुल्क के लागत को कर्मचारी को अदा नहीं किया जाएगा, जिसे कोई भी स्रोत से छात्रवृत्ति या वृत्तिका प्राप्त हो रहा हो या जिसे उसके छुट्टी वेतन, अंशकालिक रोज़गार के मामले में किसी प्रकार के पारिश्रमिक को प्राप्त करने या रखने की अनुमति दी गई हो।

54 अध्ययन छुट्टी के बाद त्यागपत्र देना या सेवानिवृत्त होना या अध्ययन के पाठ्यक्रम को अधूरा छोडना

(1) अगर कर्मचारी सर्विस को त्याग देता है या सर्विस से सेवानिवृत्त हो जाता है या अन्यथा अध्ययन की छुट्टी की अवधि के बाद ड्यूटी पर वापस आए बगैर,या वापस आने के बाद तीन वर्ष की अवधि के अंदर सर्विस छोड देता है या अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में चूकता है और अतः विनियम 44 के उप विनियम (5) के तहतानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता हो, तो उसे निम्न प्रतिलभ्य किए जाने की जरूरत है –

(i) छुट्टी वेतन, महँगाई भत्ता, अध्ययन भत्ता, शुल्कों की लागत, यात्रा एवं अन्य खर्चों की वास्तविक रकम, अगर कोई, बोर्ड द्वारा उपगत किया जाता है ; और

(ii) वास्तविक रकम, अगर कोई, अध्ययन के पाठ्यक्रम के सिलसिले में, अन्य एजेन्सियों द्वारा जैसे कि विदेशी सरकार, संस्था एव न्यास द्वारा उपगत लागत।

के साथ, उसके त्याग पत्र को स्वीकार करने या सेवानिवृत्त की अनुमति या अन्यथा सर्विस को छोडने की अनुमति से पूर्व, दावा किए जाने की तारीख से बोर्ड के ऋणों पर लागू चालू के दरों पर के ब्याजों के साथ ;

बशर्ते कि ऐसे मामलो में जहाँ कर्मचारी, इस नियम में अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में विफल होता है, तो उसको यह लागू नहीं होगा :–

(ए) कर्मचारी, जिसे अध्ययन की छुट्टी से ड्यूटी पर वापस आने के बाद, चिकित्सा ग्राउण्ड पर सर्विस से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है या

(बी) कर्मचारी, जिसे अध्ययन की छुट्टी से ड्यूटी पर वापस आने के बाद, बोर्ड के नियंत्रणाधीन किसी भी सांविधिक या स्वायत्त निकाय या संस्थान में सेवा करने केलिए प्रतिनियुक्त किया जाता है और लोक हित में उक्त सांविधिक या स्वायत्त निकाय या संस्थान में उसकी स्थायी अब्सार्बशन को देखते हुए, बोर्ड के अधीन की सर्विस से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) (ए) ऐसे कर्मचारी द्वारा जिसने अध्ययन छुट्टी उपलब्ध की हो, और अध्ययन छुट्टी के सिलसिले में किसी प्रकार की नियमित छुट्टी शुरू हो जाने पर, अध्ययन छुट्टी की तारीख पर उसके खाते में रहने वाले नियमित छुट्टी को उद्देश्य हेतु उपयुक्त रूप से समायोजित किया जा सकता है और अध्ययन छुट्टी की शेष अवधि को, अगर कोई, जिसे ऐसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता को, असाधारण छुट्टी के रूप में माना जाएगा।

(बी) इसके अलावा, कर्मचारी को उप विनियम (1) के तहत प्रतिलभ्य किए जाने वाले रकम को उसके द्वारा अध्ययन छुट्टी के परिवर्तन पर, स्वीकार्य छुट्टी वेतन के रूप में वास्तविक तौर पर निकासी किए जा रहे किसी भी अत्यधिक छुट्टी वेतन को प्रतिलभ्य किये जाने की जरूरत है।

(3) इस विनियम में कुछ भी शामिल नहीं होने के बावजूद भी, बोर्ड अगर चाहे तो मामलों या मामले के वर्ग की अज़ीब स्थिति को देखते हुए, संबंधित कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग द्वारा उप विनियम (1) के तहत जनहित में आवश्यकता पड़ने पर या तेजी लाने केलिए, आदेश पारित करते हए्, प्रतिलभ्य किए जाने वाले रकम को या तो छूट दे सकती है या कम कर सकती है।

55 व्याख्या :

इन विनियमों में या उसके व्याख्या में, जहाँ कोई शंका उठती है तो उसे केन्द्र सरकार को भेजा जाए जिसका निर्णय अंतिम होगा।

56 शिथिलन करने की शक्ति :

जहाँ बोर्ड इस बात पर संतुष्ट होता है कि इन विनियमों के किसी भी संचालन से दुविधा होती है किसी विशेष मामले में तो, ऐसे हद तक उस विनियम को छोडने या शिथिलन करने केलिए लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश जारी कर सकता है और बशर्ते कि ऐसे अपवाद या स्थितियों को उचित और न्यायसंगत तरीके से मामले को निपटने केलिए आवश्यक माना जा सकता है।

फॉर्म – 1
(विनियम 11 देखें)

1 आवेदक का नाम :
2 पद :
3 विभाग, कार्यालय एवं अनुभाग :
4 वेतन :
5 वर्तमान पद पर मकान किराया तथा अन्य प्रतिपूरक भत्ते :
6 आवेदित छुट्टी की प्रकृति तथा अवधि और किस तारीख से छुट्टी चाहिए :
7 रविवार और छुट्टी की प्रकृति तथा अवधि और किस तारीख से छुट्टी चाहिए :
8 किस कारण से छुट्टी के लिए आवेदन किया है :
9 पिछली छुट्टी से वापस आने की तारीख, उस छुट्टी की प्रकृति तथा अवधि :
10 मैं छुट्टी के दौरान .... खण्ड वर्ष के लिए यात्रा रियायत का लाभ उठाने का प्रस्ताव करता / प्रस्ताव नहीं करता हूँ।
11 छुट्टी के दौरान पता
12 त्यागपत्र या स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त करने की स्थिति में, मैं निम्नलिखित वापस देता हूँ। किराया जाने एवं आने का दैनिक भत्ता विवरण

i) .... परिणत छुट्टी के दौरान प्राप्त किया गया छुट्टी वेतन और अगर विनियम 24 के उप विनियम (1) लागू किया गया हो तो प्राप्त की गई राशि, दोनों के बीच का अंतर।

ii) अर्जनशोध्य छुट्टी के दौरान प्राप्त किए गए छुट्टी वेतन, जो ग्राह्य नहीं हुआ होगा कि अगर विनियम 25 के उप विनियम (1) इस पर लागू नहीं किया गया होता।

आवेदक का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

13 नियंत्रण अधिकारी की अभ्युक्ति और/या संस्तुति

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पदनाम :

छुट्टी की ग्राह्यता के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(छुट्टी की प्रकृति) ....से ....तक की अवधि के लिए तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1979 के अधीन ग्राह्य है।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पदनाम :

छुट्टी प्रदान करने के लिए प्राधिकारी के आदेश

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पदनाम :

फॉर्म – 2

(विनियम 12 देखें)

छुट्टी खाते का फॉर्म

कर्मचारी का नाम

लगातार सर्विस शुरू करने की तारीख

अर्ध स्थायी / स्थायी नियोजन की तारीख

कलेण्डर अर्ध वर्ष में सर्विस का विवरण		केलण्डर अर्ध वर्ष में सर्विस पूरा करने का महीना	अर्ध वर्ष के आरंभ में जमा किया गया अर्जित छुट्टी	अन्य प्रकार की छुट्टी के दिनों की संख्या (पिछले अर्ध वर्ष के दौरान उपलब्ध की गई एचपीएल, ईएल, अदेय छुट्टी, ईओएल (कॉलम 19 + 22 + 22 सी + 30 + 33)	(कॉलम 5 में अवधि का 1 / 11वाँ) ईएल कटौती किया जाना	दिनों में जमा किया गया कुल ईएल (कॉलम 4+ 11- 6)	ली गई छुट्टी			छुट्टी से वापस आने के बाद ईएल का शेष (कॉलम 17 – 10)	सर्विस का कार्यकाल	
से	तक						से	तक	दिनों की संख्या		से	तक

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

टिप्पणी : 1 देय अर्जित छुट्टी को दिनों में व्यक्त किया जाना है ।

टिप्पणी : 2 जब कर्मचारी विशिष्ट केलण्डर अर्ध वर्ष के कालावधि में नियुक्त होता है तो पूरा किए गए महीने केलिए 2 1/2 दिनों के दर पर जमा किया जाना है और दिन के फ्रेक्शन को पास के दिन तक राउण्ड ऑफ किया जाएगा ।

टिप्पणी : 3 अद्यतन कर्मचारियों के मामले में पुरानी छुट्टी खाते को बंद किया जाना है और शेष को कॉलम 11 में नए खाते में अग्रेषित किया जाना चाहिए । ऐसा करने के दौरान, जमा के शेष को पास के दिन तक राउण्ड ऑफ किया जाना है।

टिप्पणी : 4 कॉलम 6 में प्रविष्टियों को पूरा दिनों में किया जाना है। दिन के फ्रेक्शन को पास के दिन तक राउण्ड ऑफ किया जाना है ।

टिप्पणी : 5 असाधारण छुट्टी की अवधि को लाल स्याही में लिखा जाना चाहिए ।

टिप्पणी : 6 कॉलम 12 एवं 13 में प्रविष्टियों को अर्ध वेतन छुट्टी की शुरूआत के समय पर सर्विस पूरा किए गए वर्षों के आरंभ तथा अंत में ही अंकित किया जाएगा। जहाँ कर्मचारी सर्विस को ण्क और वर्ष पूरा करता है अर्ध वेतन छुट्टी के दौरान तो अतिरिक्त जमा को कॉलम 12 से 16 में उपयुक्त अतिरिक्त प्रविष्टियाँ करते हुए दिखाया जाना है और कॉलम 32 को भरते समय इस खाते में लिया जाना है।

जन्म की तारीख

सेवानिवृत्त/इस्तीफा देने की तारीख

छुट्टी (निजी कार्य पर एवं चिकित्सा प्रमाण पर जिसमें परिणत तथा अदेय छुट्टी भी शामिल किया जाना है)

खाते में छुट्टी		खाते में छुट्टी	अर्ध वेतन			ली गई छुट्टी			जन हित में किए जाने वाले प्रमाणित अध्ययन केलिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर परिणत छुट्टी (संपूर्ण सर्विस के दौरान में 180 दिनों तक सीमित के अर्ध वेतन छुट्टी को 90 दिनों की परिणत छुट्टी में बदलना)			परिणत छुट्टी को अर्ध वेतन छुट्टी में बदलना (कॉलम 22 एवं 22सी का दुगुना)
पूरा किया गया वर्ष	छुट्टी अर्जित (दिनों में)	(कॉलम 15 + 32)	अर्ध वेतन की आमदनी के मुकाबले			पूर्ण वेतन पर चिकित्सा प्रमाण पर परिणत छुट्टी						
			से	तक	दिनों की संख्या	से	तक	दिनों की संख्या	से	तक	दिनों की संख्या	
(14)	(15)	— 16	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(22ए)	(22बी)	(22सी)	— 23

संपूर्ण सर्विस के दौरान अदेय छुट्टी की सीमा 360 दिन

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर			चिकित्सा प्रमाण पत्र के अलावा, 180 दिनों तक सीमित			अदेय छुट्टी का कुल (कॉलम 26+ 29)	ली गई अर्ध वेतन छुट्टी का कुल (कॉलम 19+ 23+30)	छुट्टी से वापस आने पर अर्ध वेतन छुट्टी का शेष (कॉलम 16 - 31)	ली गई अन्य प्रकार की छुट्टी
से	तक	दिनों की संख्या	से	तक	दिनों की संख्या				

24 (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

फॉर्म – 3

(विनियम 12 देखें)

(कर्मचारियों को छुट्टी या छुट्टी को बढ़ना या छुट्टी का परिवर्तन करने हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र)

कर्मचारी का हस्ताक्षर...

मैं .... मामले की सावधानी व्यक्तिगत जांच करते हुए एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... , जिनका हस्ताक्षर ऊपर दिया गया है, वे .... से पीड़ित हैं और मैं सुमझता हूँ कि .... से प्रभावी .... तक की ड्यूटी की अनुपस्थिति की अवधि को उनके स्वास्थ्य के अच्छे होने केलिए पूर्णतया आवश्यक है।

प्राधिकृत चिकित्सा परिचर

...............................अस्पताल / दवाखाना
या अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी

तारीख ....

टिप्पणी 1 : बीमारी की प्रकृति और प्रसंभाव्य अवधि को विशिष्ट किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2 : कर्मचारी के हस्ताक्षर के उपरान्त ही फॉर्म को भरा जाना चाहिए। प्रमाणिकरण अधिकारी को यह छूट नहीं होती है कि यह प्रमाणित करें कि कर्मचारी को किसी विशेष स्थान से या तक बदलना जरूरी है या कि वह विशिष्ट स्थान को जाने केलिए योग्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र को सिर्फ संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी के अंतवाकय इच्छा पर ही दिया जाना चाहिए जिनपर यह निर्भर होता है कि जब उनको यह आधारभूत आवेदन किया गया था, तक क्या आवेदक को सर्विस में उसके फिट रहने के प्रश्न पर निर्णय करने हेतु उसे उनके समक्ष या नामांकित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

टिप्पणी 3 : क्या दूसरे राय की जरूरत पड सकती है, तो सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र की संभावित तारीख पर, एक सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन के रेंक से नीचे नहीं के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दूसरा चिकित्सा जांच करने केलिए व्यवस्था करना होगा, जो कि आवेदक की बीमारी के तथ्यों के संबंध में और छुट्टी की सिफारिश करने की आवश्यकता के संबंध में दोनो रायों को व्यक्त करेगा तथा इस उद्देश्य केलिए कर्मचारी को उसके समक्ष या उसके द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है।

टिप्पणी 4 : इस प्रमाण पत्र में निहित कोई भी सिफारिश को कर्मचारी केलिए स्वीकार्य नहीं की किसी भी प्रकार की छुट्टी केलिए दावा करने के सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा।

फॉर्म – 4

(विनियम 19 (3) देखें)

(ड्यूटी पर वापस आने का फिट्नस चिकित्सा प्रमाण पत्र)

कर्मचारी का हस्ताक्षर...

हम, ... चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/मैं, ... मुख्य चिकित्सा अधिकारी/पत्तन का चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा परिचारक या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, एतद्द्वारा यह प्रमाण करते हैं /करता हूँ कि सावधानी से जांच करने के उपरान्त श्री/श्रीमती/कुमारी .... , जिनका हस्ताक्षर ऊपर दिया गया है, और पता चला है कि वह अपनी बीमारी से ठीक हो गया है और बोर्ड की सर्विस में ड्यूटी संभालने केलिए फिट पाया जाता है। हम/मैं यह भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि यह निर्णय लेने से पूर्व हमने/मैंने मामले (इस संबंधी प्रमाणित प्रतियों) के मूल चिकित्सा प्रमाण पत्रों एवं विवरणों का जांच कर लिया है, जिसके आधार पर छुट्टी प्रदान या बढ़ाई गई थी और इसे हमारे/मेरे निर्णय केलिए ध्यान रखा गया।

चिकित्सा बोर्ड के सदस्य

(1) ....

(2) ....

(3) ....

इस पत्तन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी

तारीख ....

टिप्पणी : मामले का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं विवरण, जिसके आधार पर मूलरूप से छुट्टी प्रदान की गई या बढ़ाई गई को उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी करते समय, प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत है। इस उद्देश्य हेतु मामले केलिए मूल प्रमाण पत्र एवं विवरणों को प्रतिलियों में तैयार किया जाना है और एक प्रति को संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने पास रखा जाना है।

फॉर्म – 5

(विनियम 26 (3) देखें)

(अध्ययन केलिए विनियम 26 (2) (ई) के शिथिलन में असाधारण छुट्टी प्रदान किए जाने वाले अस्थायी कर्मचारी केलिए बॉण्ड)

इन प्रस्तुतीकरणों द्वारा सभी लागों को जानते हैं कि हम .... के निवासी .... में .... जिले के, अद्यतन में .... के नए तूत्तुक्कुडि पत्तन के कार्यालय में .... के रूप में नियोजित हैं (तत्पश्चात इसे व्याघ्र कहा जाता है) और श्री/श्रीमती/कुमारी .... , ... के सुपुत्र/सुपुत्री (इसके बाद से कहा जाता है कि एतद्द्वारा संयुक्त रूप से एवं गंभीर रूप से अपने आप को और हमारे संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासक को बोर्ड के उत्ताधिकारियों एवं असाइनों को रूपया .... (बोर्ड ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तारीख से उस पर के ब्याज सहित या भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान किया जाता है, उस देश के मुद्रा में बदलते हुए जो कि उस देश और भारत के बीच विनिमय के अधिकारिक दर पर, उक्त रकम के समतुल्य के साथ बोर्ड द्वारा उपगत किया गया या उपगत किए जा सकते हों के सभी प्रभारों एवं खर्चों और अटर्नी तथा क्लायण्ट के बीच की सभी लागतें) का भुगतान करने केलिए बाध्य करता है ।

जबकि बोर्ड ने, ... के रूप में नियोजित श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ... में अध्ययन करने हेतु उसकी सुविधा केलिए .... से प्रभावी .... दिन से .... महीने की अवधि केलिए, उसको नियमित छुट्टी के बाद वेतन एवं भत्ता के बगैर असाधारण छुट्टी प्रदान की है।

और जबकि, बोर्ड ने / को, असाधारण छुट्टी पर, श्री/श्रीमती/कुमारी .... की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, ... के कार्यभारों को निष्पादन करने केलिए एक स्थानापन्न नियुक्त किया है/करना होगा।

और जबकि, बोर्ड के बेहतरीन सुरक्षा हेतु व्याघ्र ने लिखित रूप में नीचे दिए गए अनुसार की शर्तों के साथ दो शुरिटीसों सहित इस बॉण्ड को निष्पादित करने की सहमति दी है।

अब लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि उपर्युक्त परम श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा असाधारण छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर जॉइन करने केलिए चूक जाने की स्थिति में, उक्त विनियमों के तहत उसको अधिकृत वेतन पर, बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य क्षमता में बोर्ड की सेवा करने केलिए अनिवार्यता होने या मना करते हुए बार्ड के अनुसार .... वर्षों की अवधि से ज्यादा केलिए नहीं की ऐसी अवधि केलिए रीजॉइनिंग करने के बाद बोर्ड की सेवा करता है, तो उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी .... या उसके उत्तराधिकारियों , निष्पादकों एवं प्रशासकों को बोर्ड ऋणों पर लागू होने के समय केलिए सरकारी दरों पर मांग करने की तारीख से उसपर के ब्याज सहित रुपया .... के उक्त रकम की मांग बोर्ड द्वारा किए जाने पर, तुरंत अदा करना होगा।

और उपर्युक्त, श्री/श्रीमती/कुमारी .... और ; या श्री/श्रीमती/कुमारी .... पर इस तरह के भुगतान को सुनिश्चित करने केलिए उपरोक्त लिखित दायित्व शून्य हो जाएगा एवं कोई प्रभाव नहीं करेगा, अन्यथा यह प्रभावपूर्ण एवं नैतिक गुण में रहेगा।

बशर्ते हमेशा कि इसके अधीन के शूरिटीस के देयता को यहाँ बिगाड़ा नहीं जा सकता या समय के कारण से निर्वहन करने या बोर्ड के किसी भी निषेध या कार्य या चूक से या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति से (शूरिटीस की सहमति के साथ या बगैर या ज्ञान के बिना या बोर्ड केलिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह शूरिटीस श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं श्री/श्रीमती/कुमारी .... या उनमें से किसी एक परिवादियों पर, इसके अधीन देय रकमों केलिए मुकदमा दायर करें)

बॉण्ड, सभी पहलुओ में, भारत के कानूनों द्वारा लागू होने के समय और भारत में उपयुक्त अदालतों द्वारा निर्धारितानुसार , जहाँ आवश्यक हो तदनुसार, अधिकारों एवं देनदारियों के तहत शासित किया जाएगा।

बोर्ड ने बॉण्ड पर भुनानी स्टाम्प ड्यूटी को चुकाने की सहमति दी है।

हस्ताक्षरित, दिनांकित एक हज़ार नौ सौ एवं .... के .... महीने का .... दिन

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक ओब्लाईजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....
2 ....

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक ओब्लाईजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....
2 ....

स्वीकृत

बोर्ड की ओर से एवं केलिए

फॉर्म – 6

(विनियम 44 (4) देखें)

(अध्ययन छुट्टी केलिए जाने से पूर्व स्थायी नियोजन के कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला बॉण्ड)

इन प्रस्तुतीकरणों द्वारा सभी लागों को जानते हैं कि मैं .... के निवासी .... में .... जिले के, अद्यतन में .... के नए तूत्तुक्कुडि पत्तन के कार्यालय में .... के रूप में नियोजित हूँ (तत्पश्चात इसे बोर्ड कहा जाना है) और मैं अपने आप को एवं मेरे उत्तराधिकारियों , निष्पादकों तथा प्रशासकों को रूपया .... (रूपया .... मात्र) के साथ बोर्ड ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तारीख से उस पर के ब्याज सहित या भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान किया जाता है, उस देश के मुद्रा में बदलते हुए जो कि उस देश और भारत के बीच विनिमय के अधिकारिक दर पर, उक्त रकम के समतुल्य के साथ बोर्ड द्वारा उपगत किया गया या उपगत किए जा सकते हों के सभी प्रभारों एवं खर्चों और अटर्नी तथा क्लायण्ट के बीच की सभी लागतें) का भुगतान करने केलिए बाध्य करता हूँ ।

जबकि मुझे .... को बोर्ड द्वारा अध्ययन छुट्टी प्रदान किया गया है।

और जबकि बोर्ड की बेहतरीन सुरक्षा केलिए मैं लिखित रूप में ऐसे शर्तों के साथ इस बॉण्ड को निष्पादित करने के लिए सहमत होता हूँ ।

अब उपर्युक्त लिखित दायित्व की स्थिति यह है कि मेरे द्वारा ड्यूटी पर जॉइन होने की चूक होने पर या सर्विस से इस्तीफ़ा देने या सेवानिवृत्त होने पर या अन्यथा अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या रद्द किए जाने के बाद ड्यूटी पर वापस आने के बगैर या ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों की अवधि के अंदर किसी भी समय पर सर्विस को छोड देने पर, मैं , बोर्ड के ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तरीख से उस पर के ब्याज सहित को, बार्ड द्वारा मांग किए जाने पर या निदेश दिए जाने पर रुपया .... (रुपया .... मात्र) को अदा कर दूँगा।

और मेरे द्वारा ऐसा भुगतान किए जाने पर, उपर्युक्त लिखित बाध्यता शून्य हो जाएगा एवं कोई प्रभाव नहीं करेगा, अन्यथा यह प्रभावपूर्ण एवं नैतिक गुण में रहेगा।

बॉण्ड, सभी पहलुओ में, भारत के कानूनों द्वारा लागू होने के समय और भारत में उपयुक्त अदालतों द्वारा निर्धारितानुसार , जहाँ आवश्यक हो तदनुसार, अधिकारों एवं देनदारियों के तहत शासित किया जाएगा।

बोर्ड ने बॉण्ड पर भुनानी स्टाम्प ड्यूटी को चुकाने की सहमति दी है।

हस्ताक्षरित, दिनांकित एक हज़ार नौ सौ एवं .... के .... महीने का .... दिन

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक ओब्लाईजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....

फॉर्म – 7
(विनियम 44 (4) देखें)

(अध्ययन छुट्टी प्रदान किए जाने पर स्थायी नियोजन के कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला बॉण्ड)

इन प्रस्तुतीकरणों द्वारा सभी लागों को जानते हैं कि मैं .... के निवासी .... में .... जिले के, अद्यतन में .... के नए तूत्तुक्कुडि पत्तन के कार्यालय में .... के रूप में नियोजित हूँ (तत्पश्चात इसे बोर्ड कहा जाना है) और मैं अपने आप को एवं मेरे उत्तराधिकारियों , निष्पादकों तथा प्रशासकों को रूपया .... (रूपया .... मात्र) के साथ बोर्ड ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तारीख से उस पर के ब्याज सहित या भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान किया जाता है, उस देश के मुद्रा में बदलते हुए जो कि उस देश और भारत के बीच विनिमय के अधिकारिक दर पर, उक्त रकम के समतुल्य के साथ बोर्ड द्वारा उपगत किया गया या उपगत किए जा सकते हों के सभी प्रभारों एवं खर्चों और अटर्नी तथा क्लायण्ट के बीच की सभी लागतें) का भुगतान करने केलिए बाध्य करता हूँ ।

जबकि मुझे .... को .... से .... तक की अवधि केलिए बोर्ड द्वारा अध्ययन छुट्टी प्रदान किया गया, जिसपर विचार करते हुए मैंने बोर्ड के नामे रुपया .... (रुपया .... मात्र) केलिए निष्पादित किया है।

और जबकि मेरे द्वारा अध्ययन छुट्टी को .... तक बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

और जबकि बोर्ड की बेहतरीन सुरक्षा केलिए मैं लिखित रूप में ऐसे शर्तों के साथ इस बॉण्ड को निष्पादित करने के लिए सहमत होता हूँ ।

अब उपर्युक्त लिखित दायित्व की स्थिति यह है कि मेरे द्वारा ड्यूटी पर जॉइन होने की चूक होने पर या सर्विस से इस्तीफ़ा देने या सेवानिवृत्त होने पर या अन्यथा अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या रद्द किए जाने के बाद ड्यूटी पर वापस आने के बगैर या ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों की अवधि के अंदर किसी भी समय पर सर्विस को छोड देने पर, मैं , बोर्ड के ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तरीख से उस पर के ब्याज सहित को, बार्ड द्वारा मांग किए जाने पर या निदेश दिए जाने पर रुपया .... (रुपया .... मात्र) को अदा कर दूँगा।

और मेरे द्वारा ऐसा भुगतान किए जाने पर, उपर्युक्त लिखित बाध्यता शून्य हो जाएगा एवं कोई प्रभाव नहीं करेगा, अन्यथा यह प्रभावपूर्ण एवं नैतिक गुण में रहेगा। बाण्ड, सभी पहलुओ में, भारत के कानूनों द्वारा लागू होने के समय और भारत में उपयुक्त अदालतों द्वारा निर्धारितानुसार , जहाँ आवश्यक हो तदनुसार, अधिकारों एवं देनदारियों के तहत शासित किया जाएगा।

बोर्ड ने बॉण्ड पर भुनानी स्टाम्प ड्यूटी को चुकाने की सहमति दी है।

हस्ताक्षरित, दिनांकित एक हज़ार नौ सौ एवं .... के .... महीने का .... दिन

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक ओब्लाईजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 .... 2 ....

स्वीकृत

बोर्ड की ओर से एवं केलिए

फॉर्म – 8

(विनियम 44 (4) देखें)

इन प्रस्तुतीकरणों द्वारा सभी लागों को जानते हैं कि हम .... के निवासी .... में .... जिले के, अद्यतन में .... के नए तूत्तुक्कुडि पत्तन के कार्यालय में .... के रूप में नियोजित हैं (तत्पश्चात इसे व्याघ्र कहा जाता है) और श्री/श्रीमती/कुमारी .... , ... के सुपुत्र/सुपुत्री (इसके बाद से ''बोर्ड'' कहा जाता है) एतदद्वारा संयुक्त रूप से एवं गंभीर रूप से अपने आप को और हमारे संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासक को बोर्ड के उत्ताधिकारियों एवं असाइनों को रुपया .... (रुपया .... मात्र) सहित बोर्ड ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तारीख से उस पर के ब्याज सहित या भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान किया जाता है, उस देश के मुद्रा में बदलते हुए जो कि उस देश और भारत के बीच विनिमय के अधिकारिक दर पर, उक्त रकम के समतुल्य के साथ बोर्ड द्वारा उपगत किया गया या उपगत किए जा सकते हों के सभी प्रभारों एवं खर्चों और अटर्नी तथा क्लायण्ट के बीच की सभी लागतों का भुगतान करने केलिए बाध्य करता है ।

जहाँ व्याघ्र को बोर्ड द्वारा अध्ययन छुट्टी प्रदान की जाती है।

और जबकि बोर्ड की बेहतरीन सुरक्षा केलिए व्याघ्र ने लिखित रूप में ऐसे शर्तों के साथ इस बॉण्ड को निष्पादित करने के लिए सहमति दी है।

और जबकि उक्त शूरिटीसों ने, उपर्युक्त परम की ओर शूरिटीस के रूप में इस बाण्ड को निष्पादित करने की सहमति दी है।

अब उपर्युक्त लिखित दायित्व की स्थिति यह है कि परम श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा ड्यूटी पर जॉइन होने की चूक होने पर या सर्विस से इस्तीफ़ा देने या सेवानिवृत्त होने पर या अन्यथा अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या रद्द किए जाने के बाद ड्यूटी पर वापस आने के बगैर या ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों की अवधि के अंदर किसी भी समय पर सर्विस को छोड देने पर, परम एवं शूरिटीसों को बोर्ड के ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तरीख से उस पर के ब्याज सहित को, बार्ड द्वारा मांग किए जाने पर या निदेश दिए जाने पर रुपया .... (रुपया .... मात्र) को अदा करना होगा।

और उपर्युक्त परम श्री/श्रीमती/कुमारी .... और ; या श्री/श्रीमती/कुमारी .... पर इस तरह के भुगतान को सुनिश्चित करने केलिए उपरोक्त लिखित दायित्व शून्य हो जाएगा एवं कोई प्रभाव नहीं करेगा, अन्यथा यह प्रभावपूर्ण एवं नैतिक गुण में रहेगा।

बशर्ते हमेशा कि इसके अधीन के शूरिटीस के देयता को यहाँ बिगाड़ा नहीं जा सकता या समय के कारण से निर्वहन करने या बोर्ड के किसी भी निषेध या कार्य या चूक से या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति से (शूरिटीस की सहमति के साथ या बगैर या ज्ञान के बिना या बोर्ड केलिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह शूरिटीस

श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं श्री/श्रीमती/कुमारी .... या उनमें से किसी एक परिवादियों पर, इसके अधीन देय रकमों केलिए मुकदमा दायर करें)

बॉण्ड, सभी पहलुओ में, भारत के कानूनों द्वारा लागू होने के समय और भारत में उपयुक्त अदालतों द्वारा निर्धारितानुसार , जहाँ आवश्यक हो तदनुसार, अधिकारों एवं देनदारियों के तहत शासित किया जाएगा।

बोर्ड ने बॉण्ड पर भुनानी स्टाम्प ड्यूटी को चुकाने की सहमति दी है।

हस्ताक्षरित, दिनांकित एक हज़ार नौ सौ एवं .... के .... महीने का .... दिन

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक ओब्लाईजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....
2 ....

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक ओब्लाईजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....
2 ....

स्वीकृत

बोर्ड की ओर से एवं केलिए

फॉर्म – 9

(विनियम 44 (4) देखें)

(अध्ययन छुट्टी प्रदान किए जाने पर स्थायी नियोजन में नहीं के कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बॉण्ड)

इन प्रस्तुतीकरणों द्वारा सभी लागों को जानते हैं कि हम .... के निवासी .... में .... जिले के, अद्यतन में .... के नए तूत्तुक्कुडि पत्तन के कार्यालय में .... के रूप में नियोजित हैं (तत्पश्चात इसे व्याघ्र कहा जाता है) और श्री/श्रीमती/कुमारी .... , ... के सुपुत्र/सुपुत्री (इसके बाद से ''शूरिटीस'' कहा जाता है) एतद्द्वारा संयुक्त रूप से एवं गंभीर रूप से अपने आप को और हमारे संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासक को बोर्ड के उत्ताधिकारियों एवं असाइनों को रुपया .... (रुपया .... मात्र) सहित बोर्ड ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तारीख से उस पर के ब्याज सहित या भारत के अलावा किसी अन्य देश में भुगतान किया जाता है, उस देश के मुद्रा में बदलते हुए जो कि उस देश और भारत के बीच विनिमय के अधिकारिक दर पर, उक्त रकम के समतुल्य के साथ बोर्ड द्वारा उपगत किया गया या उपगत किए जा सकते हों के सभी प्रभारों एवं खर्चों और अटर्नी तथा क्लायण्ट के बीच की सभी लागतों का भुगतान करने केलिए बाध्य करता है ।

जबकि व्याघ्र .... को .... से .... तक की अवधि केलिए बोर्ड द्वारा अध्ययन छुट्टी प्रदान किया गया, जिसपर विचार करते हुए मैंने बोर्ड के नामे रुपया .... (रुपया .... मात्र) केलिए निष्पादित किया है।

और जबकि व्याघ्र द्वारा अध्ययन छुट्टी को .... तक बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

और जबकि बोर्ड की बेहतरीन सुरक्षा केलिए , व्याघ्र लिखित रूप में ऐसे शर्तों के साथ इस बॉण्ड को निष्पादित करने के लिए सहमति दी है।

और जबकि उक्त शूरिटीसों ने, उपर्युक्त परम की ओर शूरिटीस के रूप में इस बाण्ड को निष्पादित करने की सहमति दी है।

अब उपर्युक्त लिखित दायित्व की स्थिति यह है कि परम श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा ड्यूटी पर जॉइन होने की चूक होने पर या सर्विस से इस्तीफ़ा देने या सेवानिवृत्त होने पर या अन्यथा अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या रद्द किए जाने के बाद ड्यूटी पर वापस आने के बगैर या ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों की अवधि के अंदर किसी भी समय पर सर्विस को छोड देने पर, परम एवं शूरिटीसों को बोर्ड के ऋणों पर लागू होने के समय में सरकारी दरों पर मांग की गई तरीख से उस पर के ब्याज सहित को, बार्ड द्वारा मांग किए जाने पर या निदेश दिए जाने पर रुपया .... (रुपया .... मात्र) को अदा करना होगा।

और उपर्युक्त परम श्री/श्रीमती/कुमारी .... और ; या श्री/श्रीमती/कुमारी .... पर इस तरह के भुगतान को सुनिश्चित करने केलिए उपरोक्त लिखित दायित्व शून्य हो जाएगा एवं कोई प्रभाव नहीं करेगा, अन्यथा यह प्रभावपूर्ण एवं नैतिक गुण में रहेगा।

बशर्ते हमेशा कि इसके अधीन के शूरिटीस के देयता को यहाँ बिगाड़ा नहीं जा सकता या समय के कारण से निर्वहन करने या बोर्ड के किसी भी निषेध या कार्य या चूक से या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति से (शूरिटीस की सहमति के साथ या बगैर या ज्ञान के बिना या बोर्ड केलिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह शूरिटीस श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं श्री/श्रीमती/कुमारी .... या उनमें से किसी एक परिवादियों पर, इसके अधीन देय रकमों केलिए मुकदमा दायर करें)

बॉण्ड, सभी पहलुओ में, भारत के कानूनों द्वारा लागू होने के समय और भारत में उपयुक्त अदालतों द्वारा निर्धारितानुसार , जहाँ आवश्यक हो तदनुसार, अधिकारों एवं देनदारियों के तहत शासित किया जाएगा।

बोर्ड ने बॉण्ड पर भुनानी स्टाम्प ड्यूटी को चुकाने की सहमति दी है।

हस्ताक्षरित, दिनांकित एक हज़ार नौ सौ एवं .... के .... महीने का .... दिन

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक शूरिटी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....
2 ....

निम्नलिखित की उपस्थिति में, श्री/श्रीमती/कुमारी .... नामक शूरिटी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त

साक्ष्य

1 ....
2 ....

स्वीकृत

बोर्ड की ओर से एवं केलिए